ए.11018/03/2021–एम.एच.2/एन.सी.डी.–1
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एनसीडी–1

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांकः 02.जून, 2022

जन–सूचना

स्वास्थ्य परिचर्या के लिए सुगम्यता मानक का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

2. स्वास्थ्य परिचर्या के लिए सुगम्यता मानक का प्रारूप पर कोई आपत्ति /टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जन–सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदन अपने सुझाव अवर सचिव (एन.सी. डी–I.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.110108 को लिखित रूप में या इस ई–मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते है।

(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं0 011–2306 2666

सत्यमेव जयते

स्वास्थ्य परिचर्या के लिए सुगम्यता मानक

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

आभार

दिव्यांगजनों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने में स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच एक महत्वपूर्ण पहलू है। अवसंरचना विकासकर्ताओं, उपकरण और फर्नीचर विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं द्वारा अच्छी गुणवत्तायुक्त, सुरक्षित और सुलभता से उपलब्ध सुगम स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान किए जाने को सरल बनाने के लिए सुगम स्वास्थ्य परिचर्या का भावी मानकीकरण करने की आवश्यकता है। एक सुगम भारतीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के लिए इस मैनुअल में दिए गए अत्यावश्यक मानकों को सभी प्रकार के दिव्यांगजनों को सुगम स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इन मानकों को तैयार करने से भारत सरकार को यूएनसीआरपीडी अधिनियम और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

स्वास्थ्य परिचर्या मानकों को तैयार करने के लिए समिति श्री राजेश भूषण, सचिव, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए समग्र मार्गदर्शन और डॉ सुनील कुमार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करती है। समिति डॉ. हरमीत सिंह, संयुक्त सचिव के निःस्वार्थ सहयोग के लिए आपकी भी आभारी है।

इन मानकों को तैयार करने में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से डॉ. राजीव गर्ग, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस, डॉ. अनिल मानकतला, उप महानिदेशक और डॉ. रिंकू शर्मा, अपर महानिदेशक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से सुश्री सरिता नायर, उप सचिव द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए, समिति आप सभी की आभारी है।

यह समिति, इन मानकों के निर्माण के दौरान सीपीडब्ल्यूडी, शहरी विकास मंत्रालय और सीसीपीडी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और मार्गदर्शन की सराहना करती है।

स्वास्थ्य परिचर्या सुगम्यता मानकों को तैयार करने के लिए समिति

डॉ. अनिल कुमार गौर

निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई .....अध्यक्ष

डॉ नवीन कुमार,

अपर आचार्य (पीएमआर) जीआईपीएमईआर, पुडुचेरी .....सदस्य

डॉ. संजय कुमार पाण्डेय

अपर आचार्य (पीएमआर) एम्स, पटना ..... सदस्य

श्री अभिषेक बोस

वरिष्ठ वास्तुविद्, सीपीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली ..... सदस्य

विषयसूची

	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	चित्रों की सूची	
2.	सिंहावलोकन	
2.1.	प्रस्तावना	
2.2.	विधायी और नीतिगत प्रसंग	
2.3.	स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाता	
2.4.	दिव्यांगताएं	
2.5.	स्वास्थ्य परिचर्या में बाधाएं	
2.6.	सुगम परिवेश और सेवाओं का सृजन	
2.7.	सार्वभौमिक पहुंच और सार्वभौमिक डिजाइन	
2.8.	भवन संरचना दिशानिर्देश	
3.0.	सुगम आगमन और प्रस्थान जोन (लोडिंग जोन)	
4.0.	सुगम बाह्यरोगी और आपातकालीन विभाग	
4.1.	स्वागत कक्ष	
4.2.	प्रतीक्षा क्षेत्र	
4.3.	लेखन मेज या काउंटर	
4.4.	भुगतान काउंटर	
4.5.	शौचालय	

5.0. सुगम बाह्य रोगी परिचर्या जोन

5.1. रोगी जांच कक्ष

5.2. कपड़े बदलने का कक्ष

5.3. नैदानिक प्रयोगशाला

5.4. प्रयोगशाला शौचालय

5.5. ड्रेसिंग रूम, प्लास्टर रूम और गौण शल्यक्रिया कक्ष

5.6. फार्मेसी

6.0. सुगम अंतःरोगी स्वास्थ्य परिचर्या

6.1. वार्ड

6.2. प्रसूति वार्ड

6.3. वार्ड स्नानघर

6.4. आपातकालीन निकास

7.0. सुगम चिकित्सा उपकरण और फर्नीचर

7.1. जांच के लिए मेज और कुर्सियाँ

7.2. लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए लिफ्ट

7.2.1. पोर्टेबल फ्लोर लिफ्ट

7.2.2. ओवरहेड ट्रैक लिफ्ट

7.2.3. एक स्थायी फ्रेम पर संस्थापित ओवरहेड लिफ्ट

7.2.4. एक चलायमान फ्रेम पर संस्थापित ओवरहेट लिफ्ट

7.3. स्त्री रोग जांच के लिए मेजे

7.4. विकिरण निदान उपकरण

7.4.1. मैमोग्राफी उपकरण और कुर्सी

7.4.2. समायोज्य ऊंचाई वाले स्ट्रेचर के साथ डेंसिटोमीटर

7.5. वजन तुला (तौलने की मशीन)

7.6. कमोड और शॉवर ट्रांसफर बेंच

7.7. पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा उपकरण और फर्नीचर

7.8. हास्पिटल क्रिब्स एवं इनक्यूबेशन यूनिट

7.9. नेत्र विज्ञान और ऑप्टोमेट्री के लिए कुर्सी और मेज

7.10. दंतचिकित्सा के लिए कुर्सियां

7.11. प्रसव कुर्सी

7.12. आधान रिक्लाइनर

7.13. अस्पताल बेड

7.14. गुर्नी या पहिएदार स्ट्रेचर

7.15. आधान पंप

7.16. पुनर्वास उपकरण

8.0. प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.1. दिव्यांगजनों के साथ वार्तालाप और संवाद

8.1.1. दिव्यांगजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

8.1.2. लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के साथ वार्तालाप और संवाद

8.1.3. अल्पदृष्टि और दृष्टिहीन दिव्यांगजनों के साथ वार्तालाप और संवाद

8.1.4. श्रव्य विकार जैसे अल्प-श्रव्यता या बधिरता वाले दिव्यांगजनों के साथ वार्तालाप और संवाद

8.1.5. वाक् और भाषा संबंधी समस्याओँ/कठिनाइयों वाले दिव्यांगजनों के साथ वार्तालाप और संवाद

8.1.6. बौद्धिक अक्षमता वाले दिव्यांगजनों के साथ वार्तालाप और संवाद

8.1.7. मानसिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के साथ वार्तालाप और संवाद

9.0. सुगम संवाद

10.0. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग

10.1. वेबसाइट सुगम्यता

10.2. आईसीटी उत्पादों और सेवाओं की सुगम्यता के लिए बीआईएस मानक

11. सुगम उपकरण और फर्नीचर के उपयोग हेतु सुझाए गए स्थान के आयाम और विनिर्देश

1.चित्रों की सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं
1.0	सुगम बाह्य रोगी और आपातकालीन विभाग	
1.1	सुगम आगमन और प्रस्थान जोन (लोडिंग जोन)	
1.2	सुगम स्वागत क्षेत्र	
1.3	एक सुगम स्वागत काउंटर के आयाम	
1.4	श्रव्य दिव्यांगजनों के लिए संचार अनुरोध प्रपत्र	
1.5	स्वागत और प्रतीक्षा क्षेत्र	
1.6	व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति के लिए लेखन काउंटर	
1.7	सुगम शौचालय	
1.8	सुगम रोगी जांच कक्ष	
1.9	सुगम चेंजिंग रूम	
1.10	सुगम नैदानिक प्रयोगशाला	
1.11	सुगम प्रयोगशाला शौचालय के आयाम	
2.0	सुगम अंतःरोगी विभाग	
2.1	सुगम अस्पताल वार्ड	
2.2	वार्ड स्नानघर	
3.0	सुगम चिकित्सा उपकरण और फर्नीचर	
3.1	सुगम जांच मेज	

3.2	वजन तुला के साथ पोर्टेबल फ्लोर लिफ्ट	
3.3	स्थिर ओवरहेड रोगी लिफ्ट	
3.4	सुगम स्त्री रोग जांच मेज	
3.5	सुगम मैमोग्राफी उपकरण	
3.6	सुगम स्ट्रेचर के साथ डेंसिटोमीटर	
3.7	सुगम वजन तुला	
3.8	सुगम हॉस्पिटल क्रिब	
3.9	दंत चिकित्सालय में व्हीलचेयर लिफ्ट	
3.10	प्रसव कुर्सी	
3.11	आधान रिक्लाइनर	
3.12	सुगम अस्पताल बेड	

2.0 सिंहावलकन

2.1. प्रस्तावना

दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को सुगम स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के संदर्भ में, अभिगम, गरिमा के साथ और पूर्ण स्वावलंबन के साथ बिना किसी बाधा के स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा तक पहुंचना और सेवाओं को प्राप्त करना है। सुगम्यता को संयुक्त राष्ट्र द्वारा "सभी को समान पहुंच प्रदान करने के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें न केवल सभी संभावित सुविधाओं तक बल्कि सभी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। सुगम स्वास्थ्य परिचर्या के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:

- सेवाओं की उपलब्धता
- स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना तक भौतिक पहुंच और सुगम भौतिक डिजाइन
- आवश्यक जानकारी तक पहुंच
- सरल संचार
- यथोचित सत्कार (व्यक्तिगत भेद और दिव्यांगताओं के प्रति संवेदनशीलता), दिव्यांगजनों की विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता और उनकी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए कौशल के साथ प्रशिक्षित स्टाफ।
- सेवाओं की वहनीयता और स्वीकार्यता।
- सेवाओं की सुलभ प्रदायगी

दिव्यागंता जागरूकता बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता, उपयुक्त और सुरक्षित तथा विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सुगम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सा परिचर्या केंद्रों हेतु सुगम्यता मानकों की आवश्यकता होती है। इन मानकों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- दिव्यांगजनों को निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना।
- सुगम चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने के लिए एक निर्देश मार्गदर्शिका प्रदान करना।

- स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं को सुगम स्वास्थ्य परिचर्या के लिए वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाना।

- सुगम्यता में, दिव्यांगजनों के साथ संवाद में और दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखने में स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए एक मैनुअल के रूप में कार्य करना।

2.2. विधायी और नीतिगत प्रसंग

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 121 करोड़ की आबादी में से, भारत में लगभग 2.68 करोड़ व्यक्ति दिव्यांग हैं, जो कुल जनसंख्या का 2.21% है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति (2006) के अनुसार, दिव्यांगजनों को एक ऐसे परिवेश की आवश्यकता होती है जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों की सुरक्षा और समाज में पूर्ण भागीदारी प्रदान करे। भारत, एशिया प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी और समानता के संबंध में घोषणा (2000) का एक हस्ताक्षरकर्ता है। भारत, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए एक समावेशी, निर्बाध और अधिकार आधारित समाज की दिशा में कार्रवाई के लिए बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क (2002) का एक हस्ताक्षरकर्ता सदस्य भी है। बिवाको प्लस फाइव (2007) ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए एक समावेशी, निर्बाध और अधिकार आधारित समाज की दिशा में आगे के प्रयासों पर जोर दिया।

भारत दिव्यांजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) का भी एक हस्ताक्षरकर्ता है। इसने वर्ष 2007 में कन्वेंशन को अंगीकार किया। यह कन्वेंशन, जो वर्ष 2008 में प्रभावी हुआ, स्वास्थ्य और पुनर्वास के संबंध में दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षा पर जोर देता है और उसका सुदृढ़ीकरण करता है। यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद संख्या 25 के अनुसार, दिव्यागजनों को, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव के बिना, स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है और इसमें दिव्यांगजनों को सभी प्रकार की पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच के अधिकारों को आश्वासन प्रदान करता है। स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक पहुंच को सतत विकास लक्ष्यों, जिनमें समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच को सर्वोपरि महत्व दिया गया है, द्वारा भी समर्थन प्रदान किया गया है। स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच की कमी न केवल उपचार प्राप्त करने बल्कि रोकथाम और पुनर्वास उद्देश्यों के लिए भी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक दिव्यांगजनों की पहुंच को सीमित करती है। वे ऐसी सुविधा में जाने से बचते हैं जो आवश्यक स्वास्थ्य परिचर्या प्राप्त करने में उनके स्वावलंबन को बाधित करती है। पुनर्वास का अधिकार अधिक व्यापक रूप से यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद 26 में निर्दिष्ट किया गया है।

किसी भी दिव्यांगजन के साथ दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और उसे वस्तुओं, सेवाओं, सुविधाओं, विशेषाधिकारों, लाभों और सार्वजनिक या निजी आवास का पूर्ण और समान लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। सुगम्यता के जरिए पर्यावरण, वास्तुशिल्प, लॉजिस्टिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहित सभी संभावित बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए।

दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों या उपकरणों की अनुपस्थिति के कारण सेवाओं से वंचित और इनकार या उनके साथ अन्यथा अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें चिकित्सा परिचर्या के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए, दूसरों की तुलना में अधिक बार चिकित्सा सुविधाओं में जाने की आवश्यकता होती है, उन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रमाण पत्र सहित दिव्यांगता से संबंधित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने और सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की मरम्मत या प्रतिस्थापन की भी आवश्यकता होती है। दिव्यांगजनों को चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने के लिए चिकित्सक के कक्षों, क्लीनिकों और अस्पतालों में भौतिक सुगम्यता आवश्यक है। सुगम स्वास्थ्य परिचर्या परिवेश को डिजाइन करने के लिए पर्यावरणीय मुद्दों के साथ अभियांत्रकीय और वास्तुशिल्पीय मुद्दों, कलात्मक, उद्योग मानकों, सुरक्षा संबंधी मुद्दों और लागत का ध्यान रखना आवश्यक है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधा का डिज़ाइन उपयुक्त दृश्य स्थिति, अच्छा ध्वनिकी और शोर नियंत्रण और सूचना का सरल प्रसार प्रदान करता है। यह केवल भौतिक अवसंरचना ही नहीं, बल्कि ऐसी सेवाएं भी हैं जो सुगम होनी चाहिए। मानसिक, मनोवैज्ञानिक और अन्य अस्पष्ट दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों की स्वास्थ्य परिचर्या सुगम्यता आवश्यकताओं को पूरा करने का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

सुगम स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण करते समय नगर निगम, राज्य और केंद्र की सभी विनियामक आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।

2.3. स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाता

स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाता, जो सुगम होने चाहिए, निम्नानुसार हैं

- अस्पताल
- नर्सिंग होम्स
- निजी क्लीनिक

- अन्य - उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप-जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, प्राथमिक रेफरल इकाइयां, औषधालय, चिकित्सा प्रयोगशालाएं और नैदानिक केंद्र आदि।

2.4. दिव्यांगता

सुगम्यता की योजना बनाते समय जिन दिव्यांगताओं पर विचार किया जाना है वे निम्नानुसार हैं:

- शारीरिक या लोकोमोटर दिव्यांगता
- श्रव्य दिव्यांगता
- वाक् और भाषा संबंधी दिव्यांगता
- दृष्टि दिव्यांगता
- संज्ञानात्मक दिव्यांगता
- मानसिक दिव्यांगता

2.5. स्वास्थ्य परिचर्या में बाधाएं

सुगम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में दूर की जाने वाली बाधाओं निम्नलिखित हो सकती हैं:

- भौतिक या वास्तुशिल्पीय बाधाएं
- संचार बाधाएं
- व्यवहार संबंधी बाधाएं
- सामाजिक/आर्थिक बाधाएं

स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच को सीमित करने वाले कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं

- स्वास्थ्य सुविधा से दूरी

- परिवहन की समस्या
- सुविधा की अगम्य भौतिक संरचना
- सुविधा में अगम्य परिवेश
- अप्राप्य सेवाएं
- जानकारी का अभाव
- अप्राप्य भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक सूचना और संचार सामग्री
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों तक पहुँचने और संचालित करने और मल्टी-मीडिया सामग्री और सेवाओं का उपयोग करने में असमर्थता
- अगम्य उपकरण और फर्नीचर
- दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं की समझ का अभाव
- बाधाओं को दूर करने में अप्रशिक्षित स्टाफ
- अपर्याप्त स्टाफ
- स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं के बीच समन्वय का अभाव
- स्टाफ का नकारात्मक रवैया
- स्टाफ द्वारा उपचार से इनकार
- हानिकारक परिपाटी, विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक दिव्यांगजनों के साथ व्यवहार करते समय।

सुगम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की योजना में इन सभी बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है।

2.6. सुगम परिवेश और सेवाओं का सृजन

मौजूदा सुविधाओं में संशोधन करते हुए सृजन की तुलना में सुविधाओं का निर्माण करते समय सुगम परिवेश का सृजन करना आसान और लागत प्रभावी है। निर्माण के लिए बहुत-सी भिन्न-भिन्न संहिता जैसे राष्ट्रीय संहिता उपलब्ध हैं और उन्हें लागू करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुँच के लिए निम्नलिखित का सुगम्य होना आवश्यक है:

- स्वास्थ्य सुविधा के परिसर का प्रवेश द्वारा
- स्वास्थ्य सुविधा के प्रवेश द्वार से पार्किंग तक का रास्ता
- पार्किंग
- भवन के सामने का प्रवेश द्वार या सुगम वैकल्पिक प्रवेश द्वार
- दरवाजे
- अपेक्षित स्वास्थ्य परिचर्या और अन्य संबंधित सेवाएं प्राप्त करने से संबंधित क्षेत्रों में जाने के लिए मार्ग
- स्वागत कक्ष काउंटर और सेवा खिड़की
- लेखन डेस्क/मेज
- विश्राम/प्रतीक्षा क्षेत्र
- आवाज, डाटा और वीडियो संचार के लिए तथा विभिन्न ऐप और सेवाओं तक पहुंच के लिए फोन
- शौचालय, स्नानघर, चेंजिंग रूम आदि जैसी सुविधाएं
- इलेक्ट्रॉनिक जानकारी सहित सूचना
- कक्ष जैसे जांच कक्ष, प्रयोगशाला आदि।
- चिकित्सीय उपकरण
- आसान पहुंच के लिए सहायक यंत्र और उपकरण
- सुगम्यता में प्रशिक्षित जनशक्ति

2.7. सार्वभौमिक पहुंच या सार्वभौमिक डिज़ाइन

सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने का अर्थ है कि सुविधाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वह सक्षम हो या दिव्याग, द्वारा आईसीटी सेवाओं और उत्पादों सहित पर्यावरण, सुविधाओं, सेवाओं और उत्पादों का उपयोग किया जा सकता है।

इसका डिजाइन, आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए। यह बिना किसी शारीरिक प्रयास के कुशलता से उपयोग किया जा सकने वाला होना चाहिए और इसमें लोगों की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।

2.8. भवन संरचना दिशानिर्देश

पार्किंग, रैंप, सीढ़ियाँ, लिफ्ट, शौचालय और पेयजल सुविधा आदि जैसी सुगम भवन सुविधाओं, जो सभी सार्वजनिक भवनों पर लागू होती हैं और साथ ही स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं पर भी लागू होती हैं, का विवरण भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देशों और मानक, 2021 में समाविष्ट किया गया हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ये दिशानिर्देश और मानक सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पर https://www.cpwd.gov.in/Publication/HG2021_MOHUA.pdf पर उपलब्ध हैं।

किसी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा में किसी विशेष परीक्षण, जांच या उपचार कक्ष में आवश्यक स्थान के आयाम कक्ष में उपलब्ध कराए जाने वाले मेज, कुर्सियों, लिफ्टों, उपकरण, सहायक उपकरण आदि, दिव्यांगजनों की आवाजाही के लिए स्थान तथा व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरणों के लिए स्थान पर निर्भर करता है। अतः, आयाम, विशेष रूप से फर्नीचर और उपकरण के आयाम, चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक अवसंरचना के निर्माण की योजना बनाने से पहले उपलब्ध होने चाहिए।

3. सुगम आगमन और प्रस्थान जोन (लोडिंग जोन)

- व्यक्ति को वाहन से उतरने और वाहन पर चढ़ने के स्थान भवन के प्रवेश द्वार के समीप होने चाहिए।
- मुख्य प्रवेश बोर्ड स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
- भवन के प्रवेश द्वार से लोडिंग जोन तक आवाजाही सुचारू होनी चाहिए।
- लोडिंग ज़ोन की चेतावनी पर, दृष्टि दिव्यांगों के लिए एक वक्ररहित फुटपाथ की आवश्यकता होती है।
- सुगम लोडिंग जोन वाहन के पुल अप स्पेस के समानांतर और कम से कम 2400 मिलीमीटर चौड़ा और 6000 मिलीमीटर लंबा होना चाहिए।
- वाहन पुल अप स्पेस के समीप में एक चिह्नित पहुंच चबूतरे की आवश्यकता होती है।
- पुहंच चबूतरा वाहनों के रास्ते को अतिच्छादित नहीं करना चाहिए और इसकी न्यूनतम चौड़ाई 1500 मिलीमीटर होनी चाहिए।
- वाहन पुल अप स्पेस की चौड़ाई 2400 मिलीमीटर होनी चाहिए।
- कर्ब रैंप को पहुंच चबूतरे या पुल अप स्पेस को अतिच्छादित नहीं करना चाहिए।
- यदि ओवरहेड संरचना मौजूद है तो पहुंच चबूतरे और वाहन पुल अप स्पेस पर 2850 मिलीमीटर के ऊर्ध्वाधर खुले स्थान की आवश्यकता होती है।

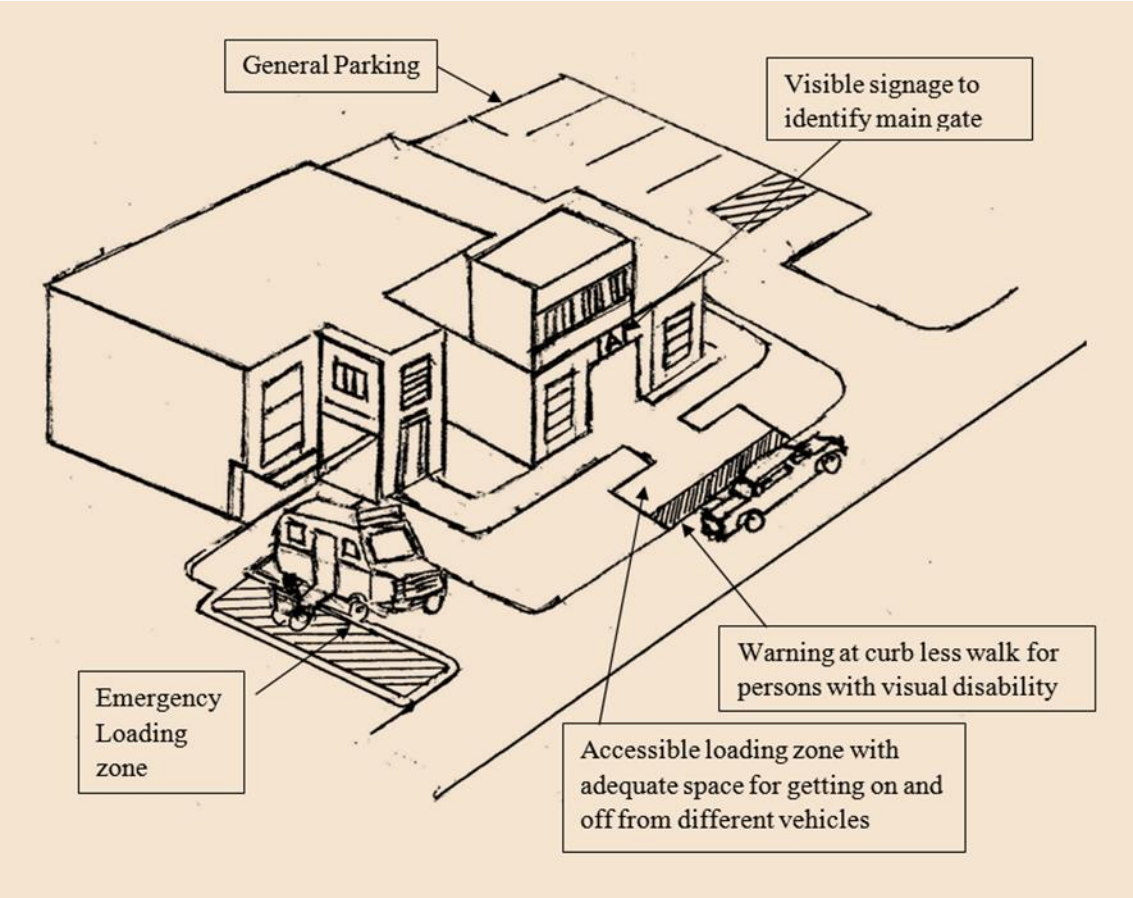

चित्र 1.1. दिव्यांगजनों के लिए लोडिंग जोन

4. सुगम बाह्यरोगी और आपातकालीन विभाग

4.1. स्वागत कक्ष

- स्वागत कक्ष प्रवेश द्वार के समीप होना चाहिए और इसमें कम-से-कम आंतरिक और बाहरी शोरगुल होना चाहिए।
- स्वागत डेस्क द्विस्तरीय होना चाहिए ताकि खड़े रोगियों के साथ-साथ व्हील चेयर पर बैठे रोगियों, दोनों को सेवा प्रदान की जा सके।
- द्विस्तरीय डेस्क के निचले हिस्से में व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के घुटने के लिए पर्याप्त स्थान होनी चाहिए। मेज/काउंटर का शीर्ष, तल से 750मिलीमीटर से 800मिलीमीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति के घुटने के लिए मेज/डेस्क के नीचे 750 मिलीमीटर चौड़ा और 480 मिलीमीटर गहरा स्थान होना चाहिए। खड़े व्यक्ति के लिए मेज/काउंटर का शीर्ष 950 मिलीमीटर से 1100 मिलीमीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए।
- जो व्यक्ति अधिक समय तक खड़े नहीं रह सकते हैं, उन्हें स्वागत कक्ष में पूछताछ करते समय भी बैठने के लिए कुर्सियाँ प्रदान की जानी चाहिए।

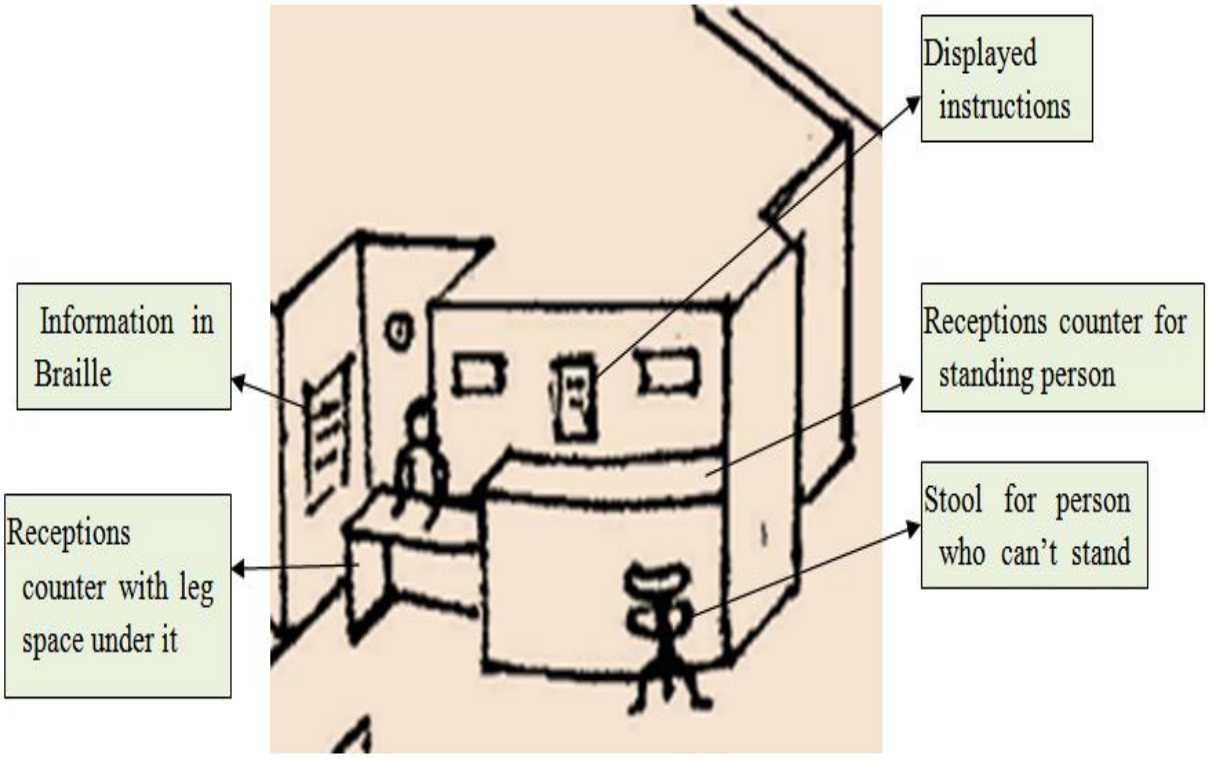

चित्र 1.2 सुगम स्वागत कक्ष

- श्रवण यंत्र का उपयोग करने लोगों की सुविधा के लिए श्रव्यबाधित व्यक्तियों के लिए स्वागत काउंटर पर लूप सिस्टम की उपलब्धता उपयोगी है।
- स्वागत काउंटर पर प्रकाश, रिसेप्शनिस्ट के सामने से आना चाहिए। इससे रिसेप्शनिस्ट के बोल समझने (लिप रीडिंग) में मदद मिलती है।

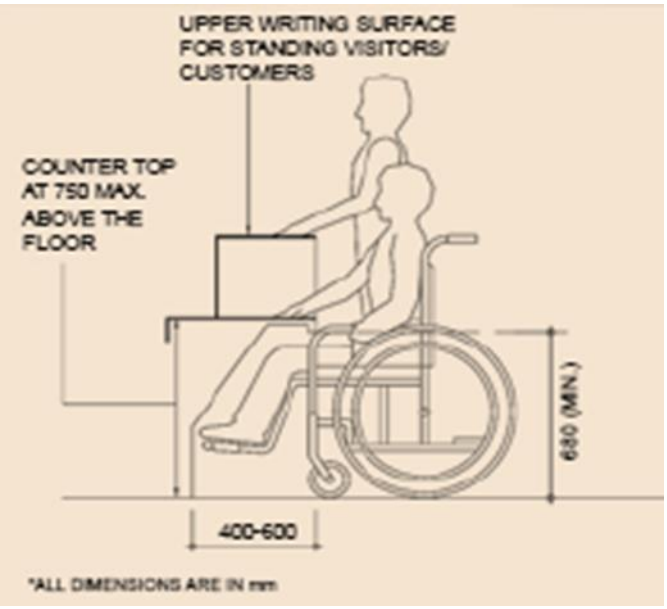

चित्र 1.3 सुगम स्वागत काउंटर के आयाम

- केंद्र के लगभग सभी हिस्सों में व्हीलचेयर गतिशीलता और इसे मोड़ने के लिए यथोचित स्थान होना चाहिए।
- श्रव्य दिव्यांगजनों को एक संचार अनुरोध प्रपत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

Form B

Communication Request form for Persons with hearing disability

Patient or attendant of the patient having hearing problems may fill the form if he/she wants to use the available hearing aid for better communication. The hearing aids use is free of charge.

Patient / Attendant's name: ……..

Patient's registration number: ……..

If attendant, relationship with the patient: …….

Nature of disability: Hard of hearing / deaf / Speech impairment

Communication aid requested, please tick the aid:

- Interpreter (Indian sign language – Hindi/English/other. Please specify other……)
- Interpreter on Mobile phone
- Remote video interpreter
- Assistive listening device
- If any other, please write about the type of device …….

Please wait till you get reply from the receptionist.

चित्र **1.4** श्रव्य दिव्यांगजनों के लिए संचार अनुरोध प्रपत्र

4.2. प्रतीक्षा क्षेत्र

किसी सुगम स्वास्थ्य सुविधा में प्रतीक्षा क्षेत्र में निम्नलिखित होने चाहिए:

- व्हीलचेयर और स्कूटर उपयोग के लिए खुला क्षेत्र
- कम से कम कुछेक सीटों के साथ पर्याप्त सीटिंग जिनके आर्मरेस्ट को बंद न किया गया हो, जो कुर्सी से उठने में सहायक होते हैं।

- ऐसा लेआउट जिसमें व्हीलचेयर उपयोगकर्ता को उसके साथ आने वाले व्यक्ति, जो कुर्सी पर बैठा हो, के समीप ही व्हीलचेयर पर बैठे रहने में सुविधा हो। इसके लिए, उस सीट के आसन्न 1100मिलीमीटर चौड़ाई का एक निकटवर्ती व्हीलचेयर स्थान प्रदान किया जाना चाहिए।
- सीट की चौड़ाई 600 मिलीमीटर और ऊंचाई 400-500 मिलीमीटर अपराइट सीटें
- अच्छी रोशनी
- नोटिस, जिन्हें चमक को कम करने के लिए बड़े अच्छे कंट्रास्ट प्रिंट और स्पष्ट मैट सतह पर लिखा गया हो
- दोहरी ऊंचाई वाले पेयजल स्रोत
- रिमोट संचालित टीवी
- एक पहुंच योग्य पत्रिका रैक
- टीटीवाई के साथ सार्वजनिक भुगतान वाले फ़ोन
- श्रव्य अलार्म के साथ-साथ दृश्य अलार्म

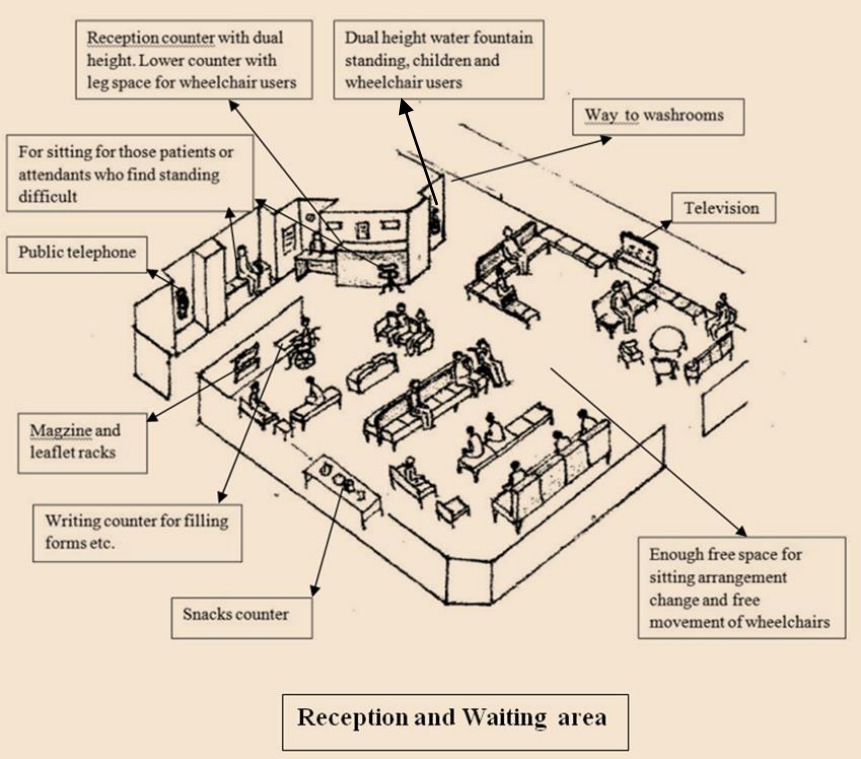

1.5 प्रतीक्षा क्षेत्र

4.3. लेखन मेज या काउंटर

- व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति के घुटने के लिए पर्याप्त खुले स्थान और पैर की अंगुली के लिए खुले स्थान हेतु मेज या काउंटर के नीचे पर्याप्त स्थान होनी चाहिए।
- तल सतह के ऊपर 230 मिलीमीटर की ऊँचाई का स्थान पैर की अंगुली के लिए खुला स्थान और 230 मिलीमीटर से 800 मिलीमीटर तक को घुटने के लिए खुला स्थान कहा जाता है।
- मेज/काउंटर का शीर्ष 750 मिलीमीटर और 900 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए, घुटने की स्थान 750 मिलीमीटर चौड़ी और 480 मिलीमीटर गहरी होना चाहिए।

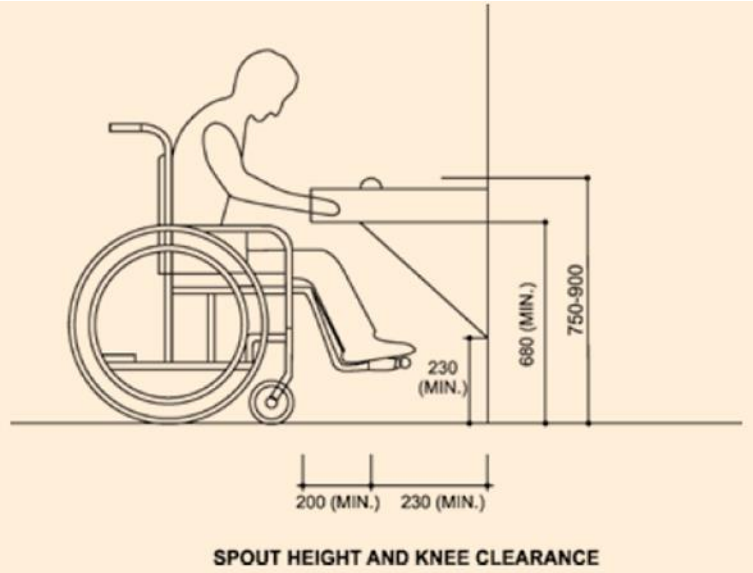

चित्र **1.6** व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति के लिए लेखन काउंटर

4.4. भुगतान काउंटर

- व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति के लिए, काउंटर के नीचे घुटने के लिए खुला स्थान और पैर की अंगुली के लिए खुला स्थान होनी चाहिए
- व्हीलचेयर में किसी व्यक्ति के लिए घुटने और पैर की अंगुली के लिए पर्याप्त खुला स्थान प्रदान करने के लिए काउंटर का शीर्ष तल से 800 मिलीमीटर से 900 मिलीमीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। घुटने का स्थान 750 मिलीमीटर चौड़ा और 480 मिलीमीटर गहरा होना चाहिए।
- लिखित सामग्री की विषय-वस्तु को ऐसे व्यक्तियों को प्रभावी रूप से समझाया जाना चाहिए, जो सामग्री को पढ़ नहीं सकते।
- करेंसी नोट या सिक्के अलग-अलग सौंपे जाने चाहिए और गिने जाने चाहिए।
- मोबाइल एप के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- यदि कार्ड द्वारा भुगतान किया जाता है, तो कार्ड व्यक्ति के हाथ में दिया जाना चाहिए और काउंटर पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

4.5. शौचालय

- शौचालय के लिए संकेत, चिन्ह और चित्रलेख तल से 1500 मिलीमीटर की ऊंचाई पर होना आवश्यक है।
- ये उभरी हुई रेखाओं या आकृतियों में होने चाहिए, जिन्हें स्पर्श करके समझा जा सके या ब्रेल अक्षरों में लिखे जा सकते हैं।
- दरवाजे की चौड़ाई 900 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और दरवाजा घूमकर शौचालय में अंदर की ओर खुलना चाहिए।

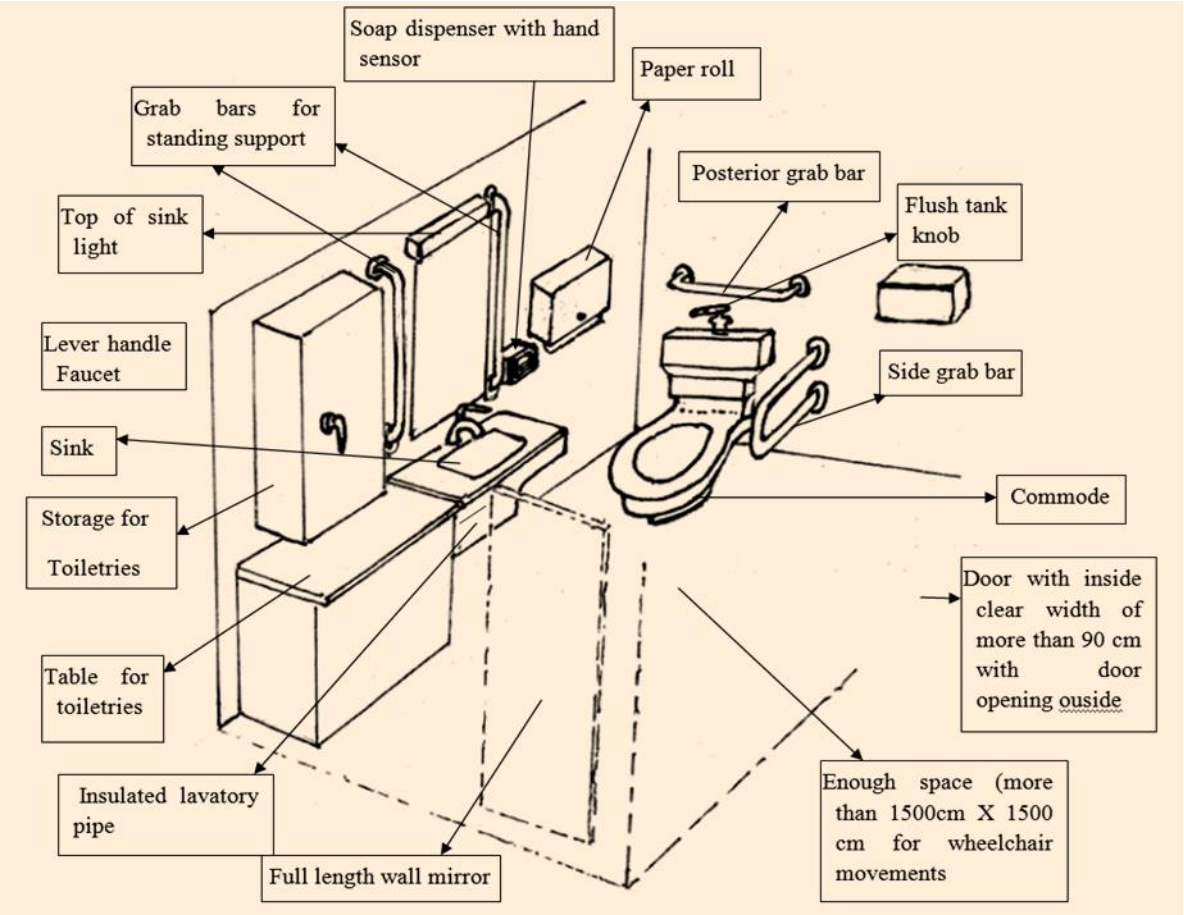

चित्र 1.7 सुगम शौचालय

5. सुगम बाह्यरोगी परिचर्या जोन

5.1. रोगी जांच कक्ष

- प्रतीक्षा क्षेत्र से कक्ष तक के मार्ग में कम से कम 900 मिलीमीटर चौड़ा स्पष्ट मार्ग होना चाहिए।
- प्रवेश द्वार 90^0 तक खुला होना चाहिए और दरवाजे की चौड़ाई 900 मिलीमीटर होनी चाहिए।
- व्हीलचेयर को मोड़ने के लिए अंदर पर्याप्त स्थान होना चाहिए, कक्ष के अंदर सुगम हार्डवेयर, व्हीलचेयर पर बैठकर ही वजन तौलने के लिए सुगम वजन तुला, जांच के लिए मेज, जिसकी ऊंचाई 400 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर तक हो सकती है, सुगम उपकरण, ग्रैब बार और पोजीशनिंग सहायक आदि, 1500 मिलीमीटर व्यास के व्हीलचेयर को मोड़ने का स्थान आवश्यक है।
- रोगी लिफ्ट उपकरण का उपयोग करने और रोगी स्थानान्तरण के लिए कमरे में पर्याप्त स्पष्ट स्थान की आवश्यकता होती है। इसके लिए, एक समायोज्य जांच मेज के कम से कम एक तरफ, कम से कम 750 मिलीमीटरX1250 मिलीमीटर के क्षेत्र की आवश्यकता होती है।
- यदि संभव हो, तो जांच मेज के दोनों ओर पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि किसी भी ओर से आसानी से स्थानांतरित किया जा सके जो रोगी की स्थिति या दिव्यांगता के आधार पर सुविधाजनक हो। इसका विकल्प यह है कि विपरीत दिशा में स्थान वाले दो जांच कक्ष हों। दरवाज़े के हैंडल और लाइट स्विच आदि जैसे सभी नियंत्रण सुगम और एक बंद मुट्ठी के साथ संचालित होने वाले होने चाहिए।

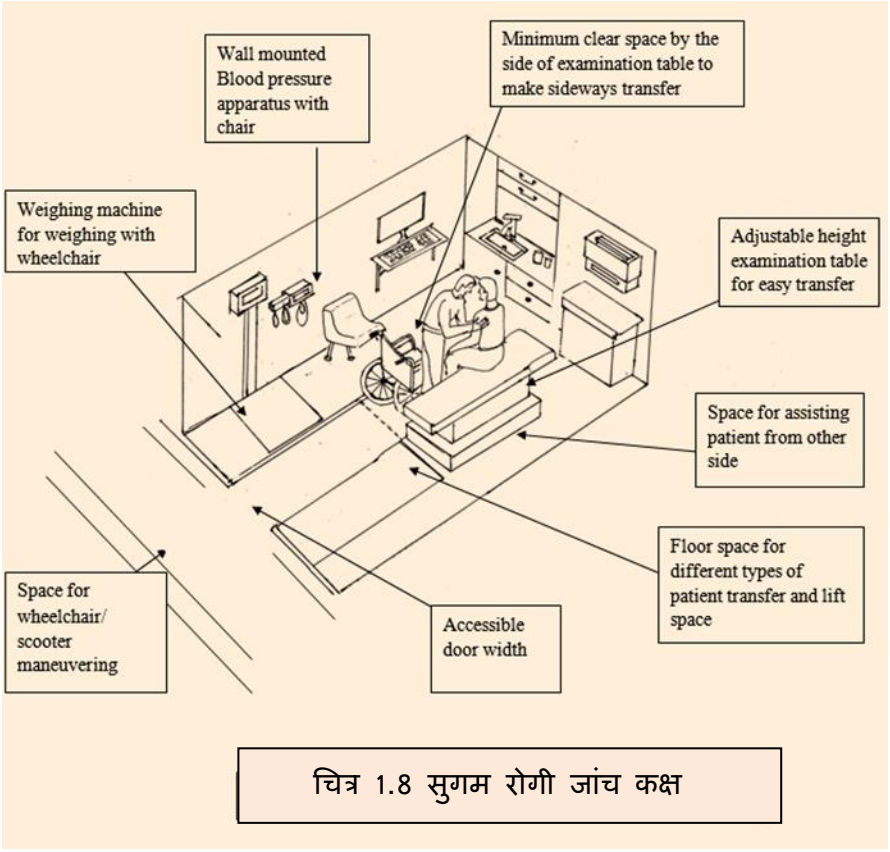

चित्र 1.8 सुगम रोगी जांच कक्ष

5.2. चेंजिंग रूम

- चेंजिंग रूम में दरवाजे की 900 मिलीमीटर की स्पष्ट चौड़ाई के साथ सुगम दरवाजा होना चाहिए।
- चेंजिंग रूम के अंदर व्हीलचेयर मोड़ने के लिए कम से कम 1500 मिलीमीटर x1500 मिलीमीटर आकार का स्थान होना चाहिए।
- सीट अधिमानतः फोल्डिंग प्रकार की होनी चाहिए।
- कपड़े बदलने के लिए सीट के दाहिने तरफ फोल्डिंग टाइप हॉरिजॉन्टल ग्रैब बार होना चाहिए जिसमें बार का ऊपरी हिस्सा तल से 680 मिलीमीटर और निचला हिस्सा 480 मिलीमीटर की ऊंचाई पर हो।
- सीट के पिछले हिस्से का केंद्र 800 मिलीमीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए।
- बाईं ओर की दीवार पर ऊर्ध्वाधर ग्रैब बार का निचला सिरा तल से 750 मिलीमीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए।

- कपड़े बदलने के लिए बेंच के ऊपर 750 मिलीमीटर की ऊंचाई पर बाईं दीवार पर एक क्षैतिज पट्टी होनी चाहिए ।

- कोट हुक और शेल्फ, जहां कहीं भी आवश्यक हो, तल से न्यूनतम 1000 मिलीमीटर और अधिकतम 1200 मिलीमीटर की ऊंचाई पर होने चाहिए।

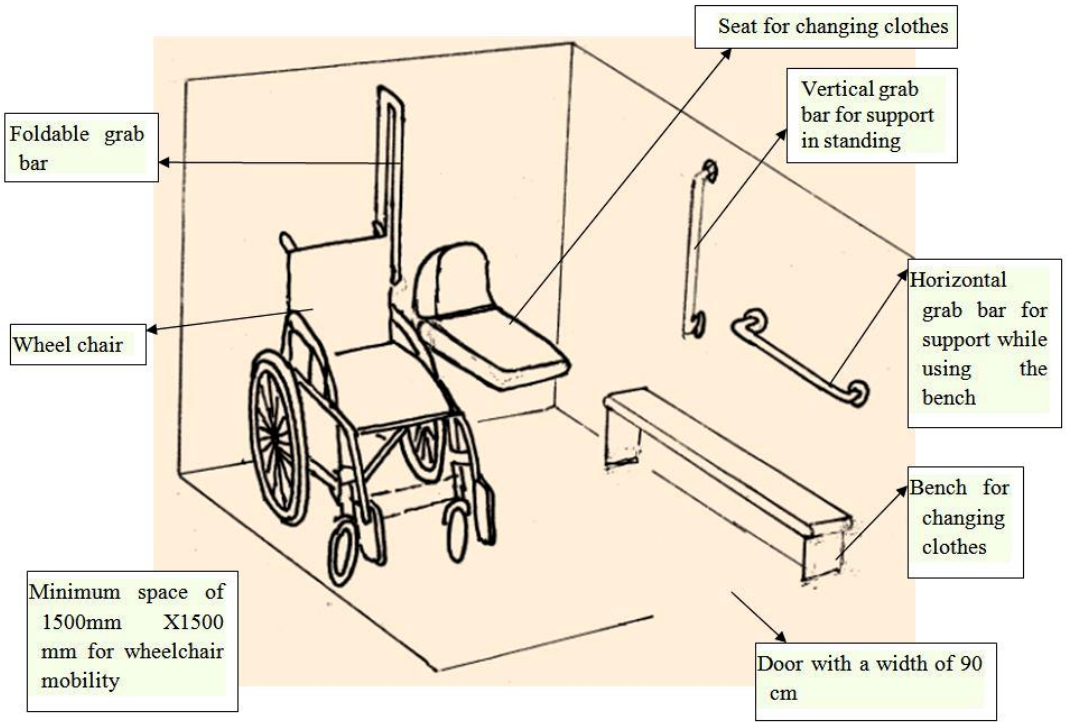

चित्र 1.9 सुगम चैंजिंग रूम

5.3 नैदानिक प्रयोगशाला

- प्रयोगशाला में किसी व्हीलचेयर पर बैठे किसी प्रयोगशाला तकनीशियन और किसी व्हीलचेयर पर बैठे किसी रोगी के व्हीलचेयर के सभी दिशाओं में संचलन के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। यह न केवल तकनीशियन की प्रयोगशाला के किसी भी क्षेत्र में आसान पहुंच के लिए आवश्यक है बल्कि सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है क्योंकि उसे बिखरे हुए हानिकारक रसायन, आग, विस्फोट या किसी अन्य खतरे के कारण दूर हटने की आवश्यकता पड़ सकती है।

- व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति के कार्य करने के लिए सतह के नीचे घुटने की स्थान के साथ-साथ काम की सतह की ऊंचाई पर्याप्त होनी चाहिए। इसके लिए सतह, तल की सतह से 750 से 850 मिलीमीटर के बीच होनी चाहिए।

- कार्य स्टेशन की गहराई इस प्रकार होनी चाहिए कि व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति की सिंक, वाटर टैप, सोप डिस्पेंशर, गैस कंट्रोल और बिजली के स्विच आसान पहुंच के भीतर हों।

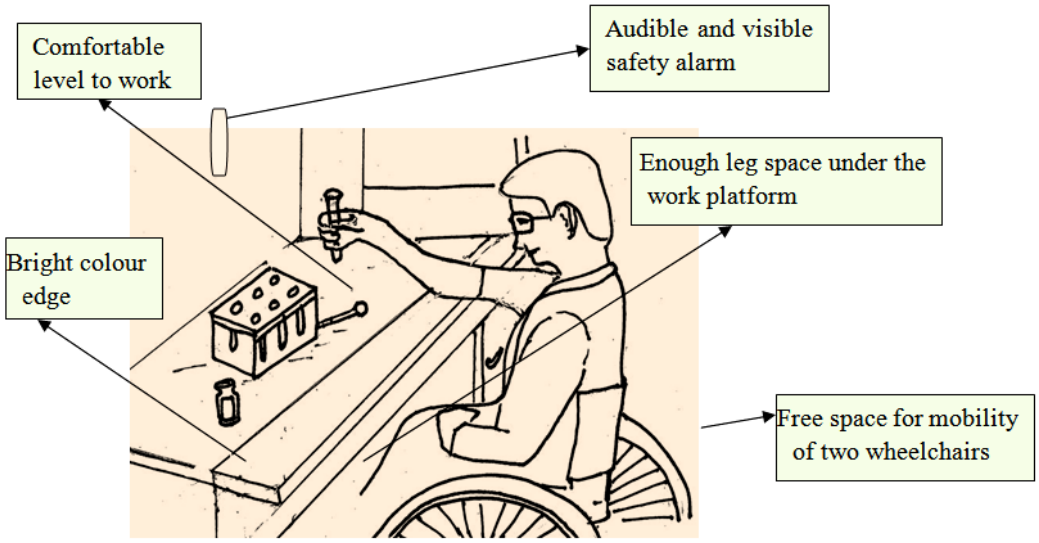

चित्र 1.10 सुगम नैदानिक प्रयोगशाला

- अल्प-दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए, सतह और नियंत्रण विपरीत रंगों में होने चाहिए। संकेत आसानी से समझे जाने योग्य होने चाहिए। श्रव्य दिव्यांगजनों के लिए कोई भी चेतावनी संकेत जैसे अग्नि अलार्म, धुआं या गैस अलार्म चमकने वाले होने चाहिए और अल्प-दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए श्रव्य होने चाहिए।

- रोगी की कुर्सी या स्टूल, यदि इसकी ऊंचाई नियत है, व्हीलचेयर की सीट के स्तर पर होना चाहिए, अन्यथा स्थानांतरण को आसान बनाने के लिए उनकी ऊंचाई समायोज्य होनी चाहिए।

- लैब रिपोर्ट तक पहुंच सॉफ्ट कॉपी में सुनिश्चित की जानी चाहिए।

5.4. प्रयोगशाला शौचालय

शौचालय के अंदर 1800 मिलीमीटर x 1800 मिलीमीटर के एक स्पष्ट स्थान के साथ अंदर 900 मिलीमीटर की स्पष्ट चौड़ाई के दरवाजे के साथ प्रवेश द्वार सुगम होना चाहिए। सिंक आसानी से सुगम होनी चाहिए।

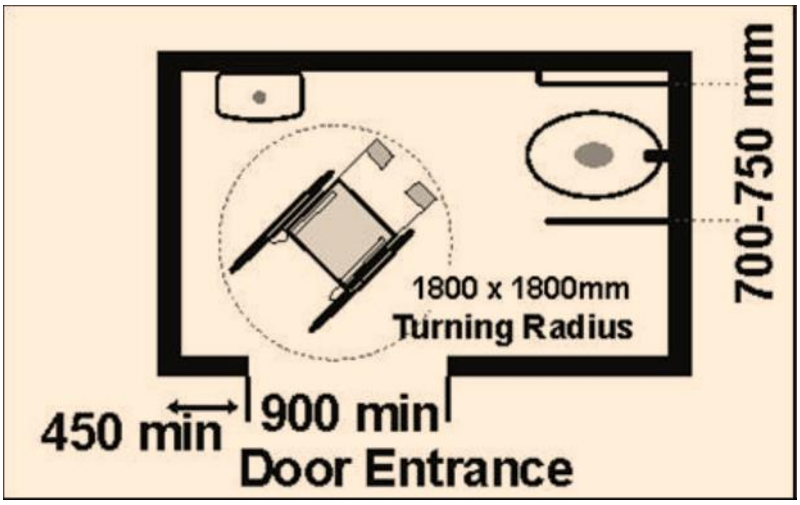

चित्र 1.11 सुगम प्रयोगशाला शौचालय के आयाम

5.5 ड्रेसिंग रूम, प्लास्टर रूम और गौण शल्यक्रिया कक्ष

- एक सुगम प्लास्टर रूम और गौण शल्यक्रिया कक्ष में एक सुगम दरवाजा होना चाहिए।
- व्हीलचेयर मोड़ने की सुविधा के लिए 1500 मिलीमीटर x 1500 मिलीमीटर का स्थान होना चाहिए।
- ऊंचाई समायोजन, पीछे की ओर झुकने योग्य, समायोज्य और हटाने योग्य फुट और लेग रेस्ट, समायोज्य और हटाने योग्य आर्म रेस्ट के साथ ड्रेसिंग / प्लास्टर मेज
- ड्रेसिंग, प्लास्टर लगाने या गौण शल्यक्रिया के लिए मेज तल की सतह से 400 मिलीमीटर से 700 मिलीमीटर तक समायोज्य ऊंचाई वाली होनी चाहिए।

5.6. फार्मेसी

- फार्मेसी काउंटर पर पहुंचने के लिए एक सुगम मार्ग होना चाहिए।

- व्हीलचेयर उपयोगकर्ता के लिए काउंटर के नीचे पर्याप्त लेग स्पेस होना चाहिए। इसके लिए बाहर की ओर से काउंटर की गहराई 480 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर होनी चाहिए।
- काउंटर की ऊंचाई 1000 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- काउंटर पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए ताकि अल्प-दृष्टि वाला व्यक्ति दवाओं और अन्य चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों के लेबल पढ़ सके।
- वाक् या श्रवण समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए चिकित्सा मदों का स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला पटल उपयोगी है।
- ई-प्रेस्क्रिप्शन सुगम रूप में होने चाहिए। अस्पताल सूचना प्रणाली और ई-फार्मेसी मॉड्यूल को सुगम प्रारूप में ई-प्रेस्क्रिप्शन की सॉफ्ट कॉपी तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

6. सुगम अंतःरोगी स्वास्थ्य परिचर्या

6.1. वार्ड

- किसी वार्ड में ऊंचाई समायोजन की सुविधा के साथ सुगम बेड होने चाहिए। व्हीलचेयर से बेड तक और इसके विपरीत आसान स्थानांतरण के लिए बेड की ऊंचाई तल से अल्पतम 400 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर के स्तर तक समायोज्य होनी चाहिए। स्थानांतरण के लिए एक स्लाइडिंग बोर्ड की आवश्यकता हो सकती है।

- मरीजों को एक सतह से दूसरी सतह पर स्थानांतरित करने के लिए होइस्ट, मंकी पोल या सीलिंग लिफ्ट की आवश्यकता होती है। होइस्ट और फ्लोर पेशेंट लिफ्टों का उपयोग करने के लिए, बेड के चारों ओर पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है और लिफ्ट के अवयवों को साइड के साथ-साथ बेड के निचले सिरे से फिट करने के लिए बेड के नीचे खुले स्थान की आवश्यकता होती है। होइस्ट का आधार इतनी चौड़ाई का होना चाहिए जिसे बेड के नीचे दोनों पार्श्वों और बेड के पैर वाले सिरे से लगाया जा सके।

- किसी बेड के समीप में मुड़ने के लिए मैनुअल या मोटर चालित व्हीलचेयर के लिए 1500 मिलीमीटरX1500 मिलीमीटर के स्थान की आवश्यकता होती है।

- वार्डों में शौचालय और स्नानघर, दीवारों पर लगे हैंडरेल के जरिए आसानी से सुगम होने चाहिए।

- दिव्यांगजनों को एक सुगम शौचालय और स्नान सुविधा के समीप कोई बेड आबंटित किया जाना चाहिए।

- यदि टेलीफोन और टेलीविजन उपलब्ध कराए जाते हैं, तो श्रव्यबाधित व्यक्तियों के लिए टीवी कार्यक्रम उपशीर्षक के साथ चलाए जाने चाहिए।

- क्लोज्ड कैप्शनिंग और डिकोडर वाले टेलीविजन उपयोगी होते हैं।

- कुछ व्यक्ति शोररहित शांत कमरे में बेहतर सुन सकते हैं। हियरिंग लूप, श्रव्य उपकरण, टीटीवाई (टेलीटाइपराइटर) और टेलीफोन जो श्रव्य-यंत्र के अनुकूल हैं और जिनमें वॉल्यूम कंट्रोल होता है, उन रोगियों को प्रदान किया जाना चाहिए जो बधिर हैं या जिन्हें श्रव्य कठिनाइयां हैं।

- मानसिक समस्याओं वाले व्यक्तियों को एकल या आईसोलेटेड कक्ष में बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है।

- रोगियों के कक्ष में दृश्य अलार्म की आवश्यकता नहीं है।

- सभी प्रकार के दिव्यांगों के लिए आपात स्थिति में सुरक्षित निकास की सुविधा होनी चाहिए।

- भोजन के समय दृष्टिहीन व्यक्ति को बताना चाहिए कि भोजन आ गया है और उसके सामने परोसा दिया गया है।

- उसे थाली में दी गई खाने-पीने की चीजों की व्यवस्था की जानकारी दी जानी चाहिए।

- दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए विभिन्न चमकीले रंगों के कटलरी और बर्तन उपयोगी होते हैं।

- रोगी की सहमति से सहायता, यदि आवश्यक हो, प्रदान की जानी चाहिए।

- स्वावलंबी भोजन के लिए आवश्यक अनुकूली उपकरण, सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

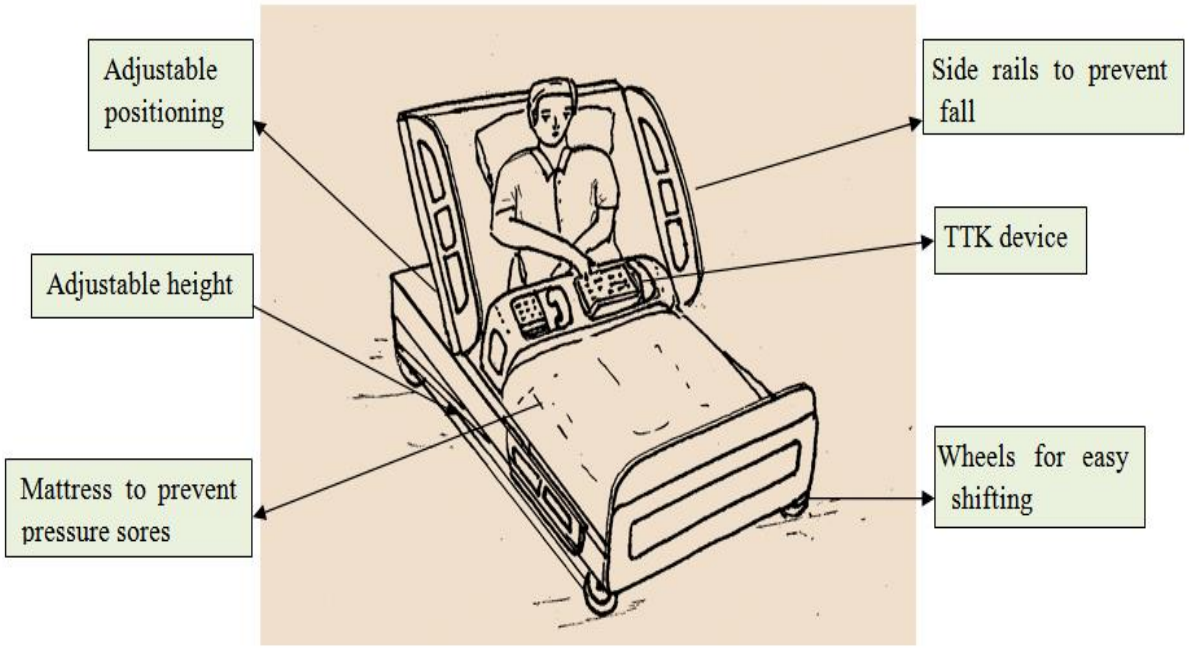

चित्र 2.1 सुगम अस्पताल वार्ड

6.2. प्रसूति वार्ड:

सुगम मातृत्व सेवाओं के लिए निम्नलिखित सुविधाओं की आवश्यकता है:

- वार्ड में ऊंचाई समायोज्य बेड और सुगम स्त्री रोग जांच सोफे होने चाहिए।
- एक होइस्ट या रोगी लिफ्ट उपलब्ध होनी चाहिए।
- डिलीवरी सूइट सुगम होना चाहिए।
- विभागों के बीच आवाजाही के लिए हैंड रेल की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- संकेत स्पष्ट और साफ होने चाहिए और संकेतों की भाषा सामान्य उपयोग की भाषा होनी चाहिए।
- प्रतीक्षा क्षेत्र और डिलीवरी सूइट दोनों में शौचालय सुगम होने चाहिए।
- सुगम शॉवर और स्नान सुविधाएं
- व्हीलचेयर और होइस्ट/लिफ्ट मूवमेंट के लिए बेड से उचित दूरी

- बाधारहित पथ
- सुगम वजन तुला
- ऊंचाई समायोज्य शिशु पालना, इन्क्यूबेटर और शिशु स्नान सुविधाएं
- दृष्टिबाधितों के लिए - बड़े प्रिंट और ब्रेल में लिखित सूचना
- श्रव्यबाधितों के लिए - विशेष रूप से प्रतीक्षा कक्ष और प्रसव कक्ष में एक पोर्टेबल श्रवण लूप
- आसानी से दिखने के लिए अलॉर्म चमकीले प्रकाश वाले होने चाहिए और श्रव्य भी होने चाहिए।
- बौद्धिक या संज्ञानात्मक दिव्यांगजनों के लिए, स्पष्टीकरण सरल भाषा में दिया जाना चाहिए।

6.3. वार्ड स्नानघर

I. रोल-इन प्रकार

- मानक रोल-इन प्रकार के स्नान कक्ष 760 मिलीमीटर चौड़े और 1500 मिलीमीटर गहरे होने चाहिए।
- एक कर्ब 120 मिलीमीटर से अधिक ऊँचा नहीं होना चाहिए और गोलाकार होना चाहिए।
- नियंत्रणों को शॉवर सीट से 670 मिलीमीटर से अधिक दूर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए।
- शेष सुविधाएं वे सकती हैं जो नीचे ट्रांसफर शॉवर के लिए दी गई हैं।

II. ट्रांसफर शॉवर

- स्नानघर के अंदर का आयाम न्यूनतम 900 मिलीमीटर X 900 मिलीमीटर होना चाहिए
- फोल्डिंग या नॉन-फोल्डिंग प्रकार की सीट जो 125 किलो वजन संभाल सकती है।
- शावर नियंत्रण तल से 900 से 1100 मिलीमीटर की ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए।
- नल मिक्सर प्रकार का होना चाहिए और टोंटी लीवर प्रकार की होनी चाहिए।
- ग्रैब बार कम से कम 125 किलोग्राम भार को संभालने में सक्षम होना चाहिए।

- दीवार से ग्रैब बार की दूरी 40 मिलीमीटर होनी चाहिए।
- टॉवल रेल तल से 900 मिलीमीटर से 1100 मिलीमीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए।
- कोट हुक और सेफ़, यदि उपलब्ध हों, तल से न्यूनतम 1000 मिलीमीटर और अधिकतम 1200 मिलीमीटर की ऊंचाई पर होने चाहिए।
- तल फिसलन रहित होना चाहिए।
- बाथरूम में अच्छी रोशनी होनी चाहिए।
- स्विच और नियंत्रण तल के ऊपर 900 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर की ऊंचाई के बीच होने चाहिए।

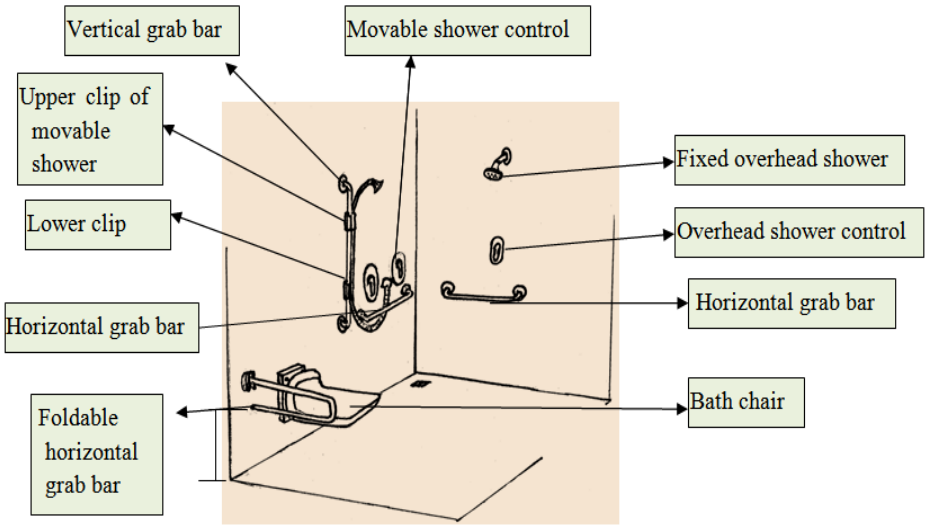

चित्र **2.2** स्नानघर

6.4. आपातकालीन निकास

- आपात स्थिति में बाहर जाने के लिए व्हीलचेयर और व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे को पार करने के लिए रास्ता कम से कम 1200 मिलीमीटर चौड़ा होना चाहिए
- चूंकि कुछ आपात स्थितियों में लिफ्टों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए रैंप की भी आवश्यकता होती है।
- सीढ़ियाँ एक सुगम आपातकालीन निकास मार्ग का हिस्सा नहीं होनी चाहिए।

- बचाव सहायता के क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली सीढ़ी हैंडरेल के बीच 1250 मिलीमीटर चौड़ी होनी चाहिए।
- अभिविन्यास और दिशा के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए, आकार में बड़े और समझने में आसान होने चाहिए।
- बाहर निकलने का रास्ता स्पष्ट रूप से वे लाइटिंग सिस्टम के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए।
- रास्ता बाधारहित होना चाहिए और इसमें आपातकालीन प्रकाश और अलार्म स्थापित होना चाहिए।
- मार्ग में दरवाजे सुगम होने चाहिए।
- निकास द्वार के ऊपर निकास संकेत अंदर से प्रकाशमय होना चाहिए।
- उस क्षेत्र, जहां व्हीलचेयर उपयोगकर्ता सहायता की प्रतीक्षा करते हैं, में 750 मिलीमीटर x1250 मिलीमीटर के कम से कम दो स्पष्ट स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए।

7. सुगम चिकित्सा उपकरण और फर्नीचर

बहुत से चिकित्सा उपकरण और फर्नीचर, भौतिक वस्तुओं के रूप में, आमतौर पर सभी दिव्यांगजनों के लिए सुगम होते हैं। किंतु कुछ चिकित्सा उपकरणों और फर्नीचर में ऐसी विशेषताएं होती हैं, जो उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए या उनके उपयोग के लिए असुविधाजनक बनाती हैं। उन्हें सुगम बनाने के लिए इन विशेषताओं को या तो संशोधित या हटाया जा सकता है और अतिरिक्त विशेषताओं की व्यवस्था की जा सकती हैं। दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कुछ उपकरण और फर्नीचर अन्य व्यक्तियों द्वारा भी उपयोग में आसान होते हैं। यदि सुगम उपकरण और फर्नीचर उपलब्ध हैं, तो इनका उपयोग उस कमरे के संरचनात्मक आयामों और अन्य निर्मित संरचनाओं पर निर्भर करता है जिसमें वे स्थापित किए जाते हैं या रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए एक सुगम रोगी जांच कुर्सी के उपयोग के लिए जांच कक्ष तक आसान पहुंच की आवश्यकता होती है और व्हीलचेयर के संचलान के लिए कमरे में पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है। इसी तरह, एक सीलिंग ट्रैक लिफ्ट के लिए एक सुदृढ़ सीलिंग संरचना की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही इनका उपयोग, इनका संचालन करने वाली जनशक्ति के प्रशिक्षण पर भी निर्भर करता है। रोगियों के दृष्टिकोण से, पहुंच की आवश्यकताएं समान रहती हैं, चाहे स्वास्थ्य सुविधा बड़ी हो या छोटी या किसी उपकरण का उपयोग नैदानिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा हो या चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा हो। यह काफी हद तक इस तथ्य पर निर्भर करता है कि रोगी किन सेवाओं का लाभ उठाना चाहता है।

दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने में सुगम चिकित्सा उपकरण और फर्नीचर का महत्व इतना है कि सुगम चिकित्सा सेवाओं की योजना बनाते समय इन पर अधिकतम ध्यान देने की आवश्यकता है। सुगम चिकित्सा उपकरण और फर्नीचर के अभाव के कारण, रोगी को अभिगम्यता और सेवा प्रदाता को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने में संकोच हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि जांच कक्ष में जांच मेज उपलब्ध नहीं है, तो रोगी प्रत्येक बार सुविधा का दौरा करने में मदद प्राप्त करने में संकोच कर सकता है, इसलिए जहां तक संभव हो सेवाएं प्राप्त करने से बच सकता है। सुगम नैदानिक उपकरणों के अभाव में, चिकित्सक दिव्यांग रोगियों की देखभाल करने में बाधाओं का सामना कर सकते हैं। सुकर स्थानांतरण और जांच के लिए एक चिकित्सा जांच मेज अपेक्षित ऊंचाई वाली होनी चाहिए। इसके लिए, मेज में ऊंचाई समायोजन की व्यवस्था किसी जांच मेज को रोगियों के लिए अधिक सुगम बनाती है। केवल ऐसी सुविधा वाली जांच मेज होना, जो इसे सुगम

बनाती है, पर्याप्त नहीं है, यदि व्हील चेयर के संचालन के लिए कक्ष में पर्याप्त स्थान नहीं है तो यह सुगम नहीं होगा।

किसी रोगी जांच कक्ष में, नैदानिक प्रक्रिया कक्ष या उपचार प्रक्रिया कक्ष में, स्थान एक महत्वपूर्ण वास्तु कारक है। जांच या उपचार मेज के लिए आवश्यक स्थान के अलावा, रोगी को स्थानांतरित करने, जो मेज की साइड या निचले सिरे से किया जा सकता है, के लिए पर्याप्त स्थान की भी आवश्यकता होती है। यदि किसी रोगी को मेज या बेड पर स्थानांतरित करने में किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है, तो सहायता करने वाले व्यक्ति को मेज या बेड के विपरीत दिशा में खड़े होने के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। रोगी को स्थानांतरित करने के लिए एक रोगी होइस्ट का उपयोग करने के लिए भी स्थान की आवश्यकता होती है। यदि स्थान की कमी के कारण पोर्टेबल होइस्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता है और रोगी को बार-बार स्थानांतरित किया जाना है, तो विकल्प के रूप में एक सीलिंग लिफ्ट का उपयोग किया जा सकता है। एक सुगम चिकित्सा सुविधा के लिए, चिकित्सा उपकरण और फर्नीचर के विनियमों के साथ-साथ वास्तु संशोधन के लिए विनियमों, दोनों का पालन करना आवश्यक है।

7.1 जांच मेज और कुर्सियाँ

जांच मेजों का उपयोग रोगियों की जांच के लिए ढलुआं, अधोमुख या एक साइड की ओर मुख वाली अवस्थिति में किया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं में अधिकांश जां या उपचार मेज 800 मिलीमीटर की निश्चित ऊंचाई वाली होती हैं। लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को अपने व्हीलचेयर से मेज पर और इसके विपरीत स्वावलंबी रूप से स्थानांतरित करना मुश्किल होता है। कभी-कभी, कुछ खड़े रोगियों को भी मेज पर बैठने/लेटने में कठिनाई होती है।

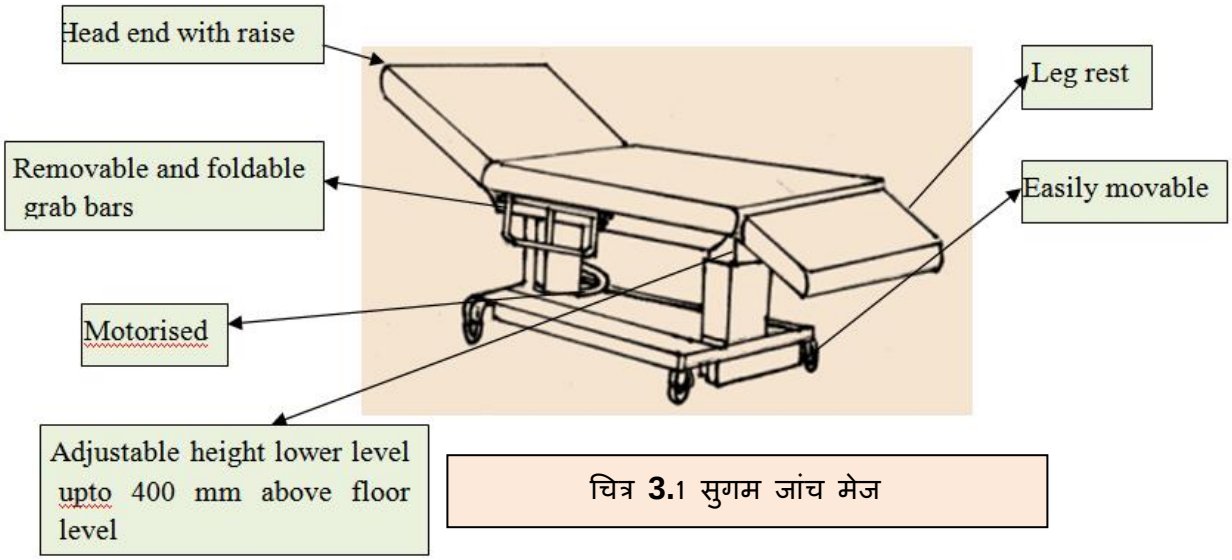

चित्र **3.**1 सुगम जांच मेज

- जांच मेज 400 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर की न्यूनतम ऊंचाई के साथ समायोज्य ऊंचाई वाली होनी चाहिए।
- समायोज्य मेजों के दो प्रमुख लाभ यह हैं कि वे नियत-ऊंचाई वाली मेजों की तुलना में रोगियों के स्थानांतरण को आसान और सुरक्षित बनाती हैं। वे आवश्यक ऊंचाई प्रदान करके चिकित्सक को जांच में मदद भी करती हैं।
- मेज में संपूर्ण झुकाव सीमा के माध्यम से समायोज्य सिर और पीठ को सहारा देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
- दबाव के कारण होने वाली पीड़ा को रोकने के लिए मेजों में शीर्ष पर पर्याप्त गद्दी लगी होनी चाहिए।
- इन्हें गिरने से बचाने के लिए हटाए जाने योग्य साइड रेल होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सेफ्टी स्टियरअप, स्ट्रैप और गर्दन को सहारा देने के विकल्प उपलब्ध होने चाहिए।
- आसानी से लेटने, पलटने और स्थानान्तरण के लिए इनकी लंबाई और चौड़ाई पर्याप्त होनी चाहिए।
- ट्रांसफर बोर्ड की सतह को आमतौर पर 1000 मिलीमीटर X 400 मिलीमीटर होनी चाहिए जो इसे पलटने से बचाती है।

- गतिशीलता युक्तियों का उपयोग करने वाले लोगों को आपकी जांच मेज और कुर्सियों पर और उनसे सुरक्षित और आसानी से स्थानांतरण में सक्षम होना चाहिए।

- उन्हें विद्युत संचालित बेड अवस्थिति और ऊंचाई नियंत्रण और कॉल बटन का उपयोग करके ऊंचाई को समायोजित करने के लिए एक रिमोट प्रदान किया जाना चाहिए।

- लेग सपोर्ट, आर्टिकुलेटेड नी क्रचेस, पेल्विक जांच के लिए चलनशीलता की लचीली डिग्री के साथ स्टियरअप आदि अपेक्षित सहायक व्यवस्थाएं हो सकती हैं।

- मेज में तल से 150 मिलीमीटर का न्यूनतम खुला स्थान और इसके ऊपर उपकरण लटकाने के लिए खुला स्थान होना चाहिए। यह खुला स्थान रोगियों को स्थानांतरित करने के लिए पोर्टेबल फ्लोर लिफ्ट का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है।

- मेज पर रोगियों के आसान स्थानांतरण के लिए जांच मेज के आसन्न 800 मिलीमीटर X 1250 मिलीमीटर का न्यूनतम स्पष्ट तल स्थान आवश्यक है।

- मेज की भार वहन क्षमता लगभग 250-400 किलोग्राम होनी चाहिए।

7.2. लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए लिफ्ट

7.2.1. पोर्टेबल फ्लोर लिफ्ट

ये लिफ्टों को स्वास्थ्य सुविधा के विभिन्न कक्षों और क्षेत्रों में आसानी से ले जाने योग्य होनी चाहिए, जो कि अन्य प्रकार के लिफ्टों, छत में लगी (सीलिंग माउंटेड) या फ्लोर से बंधी (फ्लोर फिक्स्ड) लिफ्टों के लिए नहीं किया जा सकता है। इनके आमतौर पर मेज या बेड के नीचे इनके पाद या आधार के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। इनका उपयोग उन रोगियों के लिए पोर्टेबल वजन तुला के रूप में भी किया जा सकता है जिन्हें व्हीलचेयर पर बैठने में कठिनाई होती है। जब आधार की चौड़ाई को समायोज्य बनाया जाता है तो पाद को आवश्यकता के आधार पर जांच मेज या कुर्सी के नीचे और आसन्न रखा जा सकता है।

7.2.2. ओवर हेड ट्रैक लिफ्ट

ओवरहेड लिफ्ट तीन प्रकार की होती हैं: छत में लगी हुई लिफ्ट (सीलिंग माउंटेड लिफ्ट), फ्रेम पर लगाई गई लिफ्ट जो तल से बंधी होती है और ऐसी लिफ्ट जो तल से बंधी नहीं होती है।

छत में लगी हुई लिफ्ट एक स्थिर संरचना हैं जिसमें लिफ्ट को एक मोटराइज्ड संरचना से जोड़ा जाता है जो छत में स्थापित ट्रैक पर चलती है। इसके लिए व्हीलचेयर की गतिशीलता के लिए तल पर अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जिन कमरों में व्हीलचेयर गतिशीलता के लिए स्थान नहीं होता है, किंन्तु इन्हें रोगी के लिए संशोधित किया जाना है, तो इस प्रकार की लिफ्ट उपयोगी है। इस प्रकार की लिफ्ट की असुविधा यह है कि इसे दूसरे कक्ष में नहीं ले जाया जा सकता है और इसकी लागत अधिक होती है। लिफ्ट और रोगी दोनों का भार उठाने के लिए छत की संरचना पर्याप्त सुदृढ़ होनी चाहिए।

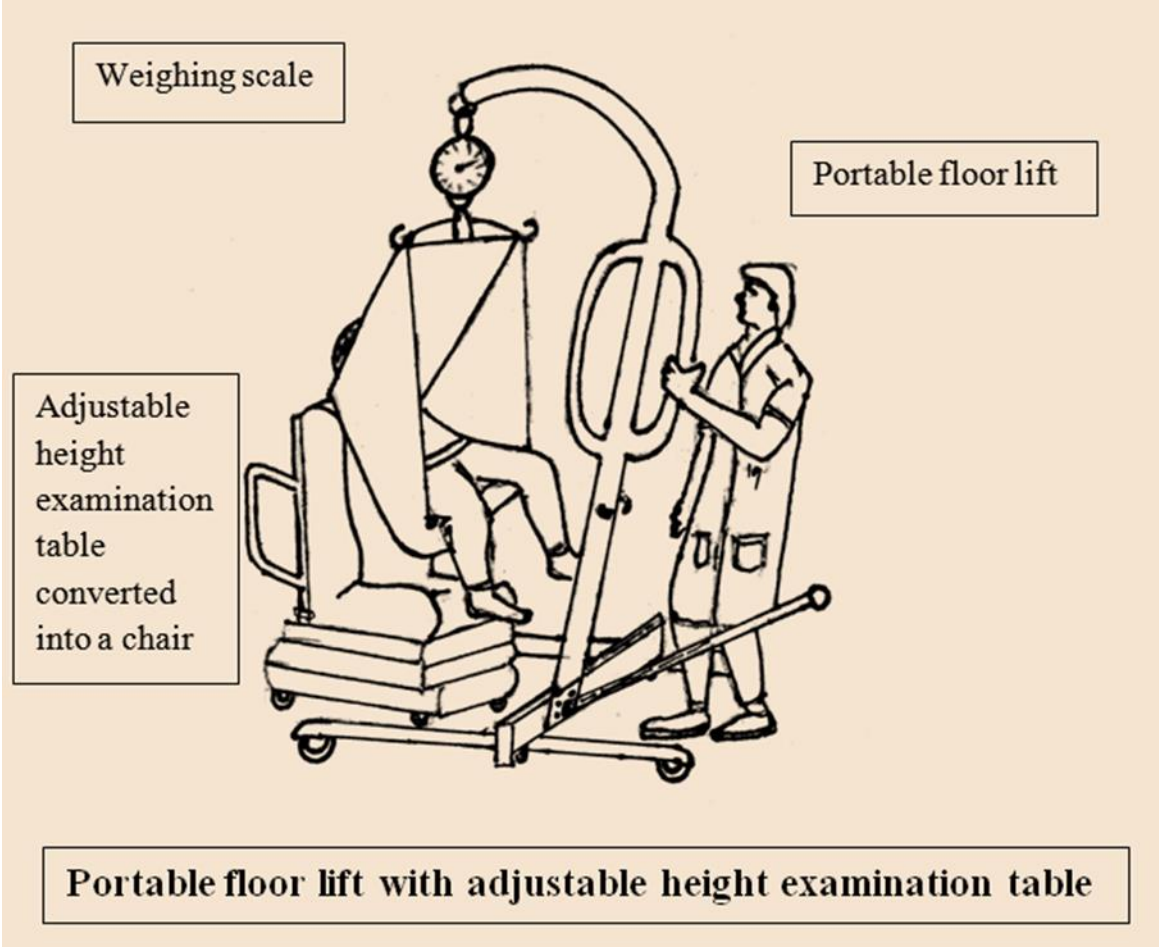

चित्र 3.2 वजन तुला के साथ पोर्टेबल फ्लोर लिफ्ट

7.2.3. भूमि से बंधे फ्रेम पर संस्थापित की गई लिफ्ट

इन लिफ्टों को भी अन्य कक्षों में भी नहीं ले जाया जा सकता है। इन लिफ्टों के लिए चलायमान उत्थापित चल लिफ्टों की तुलना में कम स्थान की आवश्यकता होती है। इनके लिए आमतौर पर चलायमान उत्थापित और पोर्टेबल लिफ्टों के लिए आवश्यक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए ये छोटे कक्षों के लिए उपयुक्त हैं। इनके लिए छत के मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

7.2.4. एक चलायमान फ्रेम (भूमि से अबद्ध) पर संस्थापित लिफ्ट

इन लिफ्टों को अन्य कक्षों में ले जाया जा सकता है लेकिन पोर्टेबल रोगी लिफ्ट की तुलना में इसे ले जाने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। इन लिफ्टों को पोर्टेबल लिफ्टों की तुलना में कम स्थान की आवश्यकता होती है। इनके लिए आमतौर पर लिफ्ट के आधार के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, इसलिए ये छोटे कक्षों के लिए उपयुक्त हैं। इनके लिए छत के मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

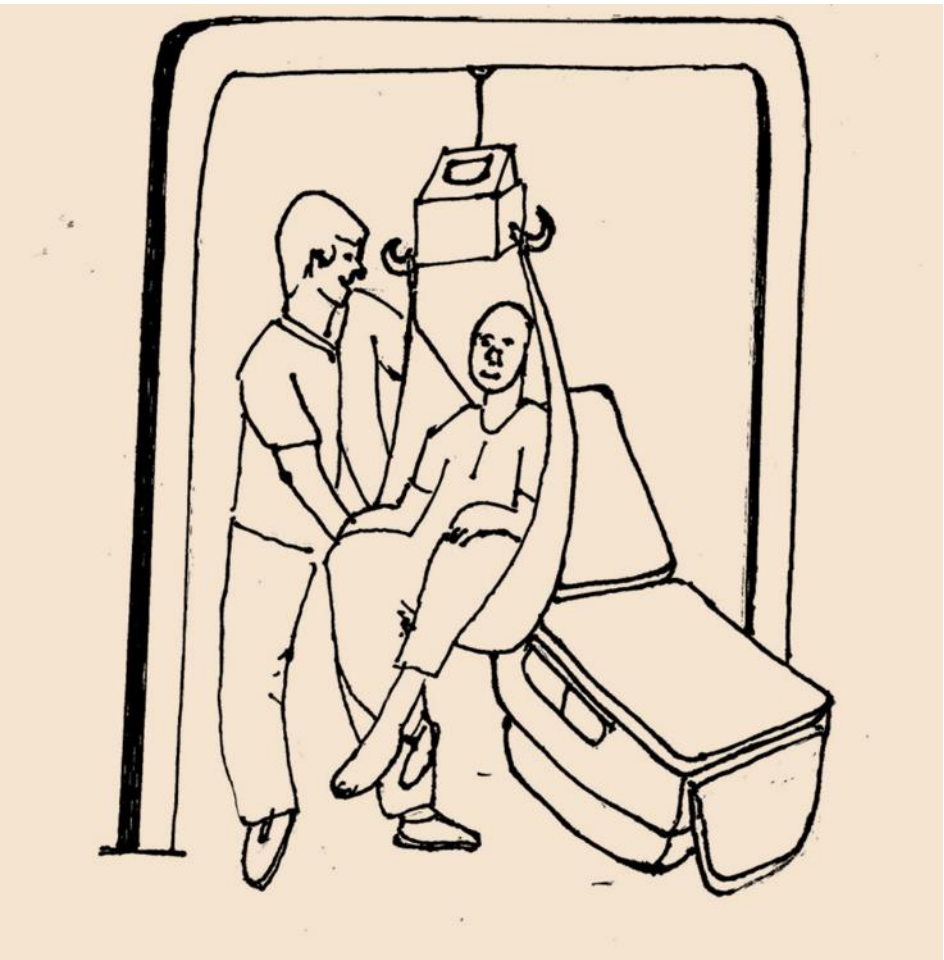

चित्र 3.3 स्थिर ओवरहेड रोगी लिफ्ट

7.3. स्त्री रोग जांच मेज

- स्त्री रोग संबंधी जांच के लिए विशेष अवस्थितियों की आवश्यकता होती है जो दिव्यांग महिला के लिए सुगम होनी चाहिए।
- पक्षाघात या अन्य स्थितियों वाली किसी महिला, जिसे अपने पैरों को हिलाने या सहारा देने में कठिनाई होती है, को सुगम स्त्री रोग संबंधी जांच उपलब्ध कराने के लिए, विशिष्ट स्टियरअप के बजाय समायोज्य गद्देदार लेग सपोर्ट वाली एक जांच मेज उपलब्ध होनी चाहिए।

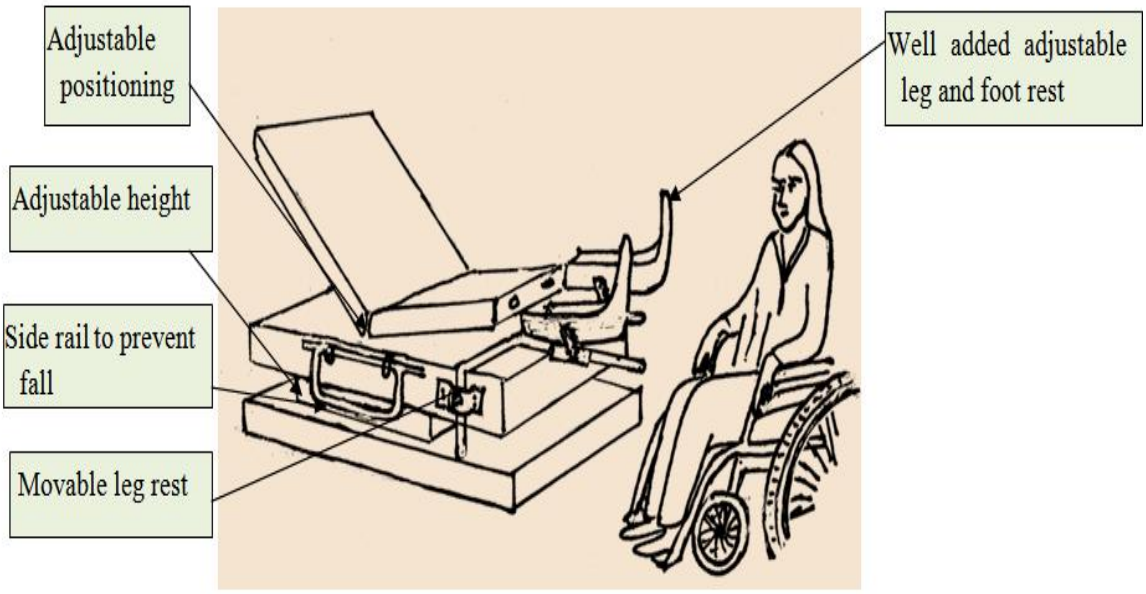

चित्र **3.4** सुगम स्त्री रोग जांच मेज

7.4. विकिरण निदान उपकरण

कमजोरी या मांसपेशियों की लोच, संतुलन की समस्याएं या संरचनात्मक अंग-विन्यास की समस्याएं आदि वाले दिव्यांगजनों को कुछ विकिरण निदान उपकरणों जैसे एमआरआई, सीटी, डीईएक्सए स्कैन, मैमोग्राफी इत्यादि पर सही स्थिति में खड़ा/लेटाया नहीं किया जा सकता है या वे इनका उपयोग कर पाने में असमर्थ होते हैं। डिज़ाइन या सहायक सुविधाओं के प्रावधान में कुछ विशिष्ट परिवर्तन दिव्यांगजनों के लिए इनका उपयोग करना आसान बना सकते हैं। निम्नलिखित कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जिन्हें उपकरण में सम्मिलित किया जा सकता है ताकि इन्हें सुगम बनाया जा सके:

- रोगी के आसान स्थानांतरण के लिए ऊंचाई समायोजन और स्थिति में आराम से बदलाव के लिए अधोमुखी से एक ओर झुकने या ढलुआं होने की व्यवस्था के लिए चौड़ाई समायोजन वाले उपकरण
- सीटी या एमआरआई मशीन के घेरे को बड़ा करना।
- दृश्य संकेत
- तेज और स्पष्ट आवाज में निर्देश

- अवस्थिति को स्थिर करने के लिए स्ट्रैप्स की व्यवस्था
- गिरने से बचाने और अच्छी गुणवत्ता वाली रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अवस्थिति को स्थिर करने के लिए सहारा देने हेतु साइड रेल।
- छत पर लगे एक्स-रे उपकरण छोटे स्थान में व्हीलचेयर की गतिशीलता के लिए स्थान की बचत कर सकते हैं।
- जब दिव्यांग व्यक्तियों को सही स्थिति में बैठाने या लिटाने की समस्या हो, एक्स-रे उपकरणों की सी-आर्म और सीएक्सडीआई श्रृंखला अच्छी गुणवत्ता वाले एक्स-रे प्राप्त करने में काफी मददगार हो सकती है।

7.4.1. मैमोग्राफी उपकरण और कुर्सियाँ

दिव्यांगजनों की मैमोग्राफी के लिए फोल्डिंग आर्म रेस्ट वाला व्हीलचेयर काफी अच्छा हो सकता है। यदि रोगी को फिक्स्ड आर्म रेस्ट वाले व्हीलचेयर में मैमोग्राफी के लिए लाया जाता है, तो समायोज्य ऊंचाई वाली सीट, जिसकी ऊंचाई को 500 मिलीमीटर से 550 मिलीमीटर तक की न्यूनतम ऊंचाई तक कम किया जा सकता है, समायोज्य गहराई की सीट, रिक्लाइनिंग सीट बैक और हटाने योग्य या फोल्डिंग आर्म रेस्ट वाली एक मैमोग्राफी कुर्सी उपयोगी है।

नैदानिक मैमोग्राफी के लिए

- स्टैंड से इमेजिंग रिसेप्टर के सामने के किनारे तक घुटने के लिए पर्याप्त स्पष्ट स्थान होनी चाहिए ताकि व्हीलचेयर उपयोगकर्ता उभरे हुए इमेजिंग प्लेटफॉर्म या सेंट्रल स्टैंड से जुड़े ट्यूब हेड्स में जाए बिना मैमोग्राफी के लिए उचित अवस्थिति पर आ सकें। इमेजिंग रिसेप्टर, तल से 600 मिलीमीटर के निचले स्तर तक समायोजित किया जाने वाला होना चाहिए। सहायक उपकरण के रूप में अवस्थिति को स्थिर करने वाली पट्टियाँ और तकिए आदि उपलब्ध होने चाहिए।

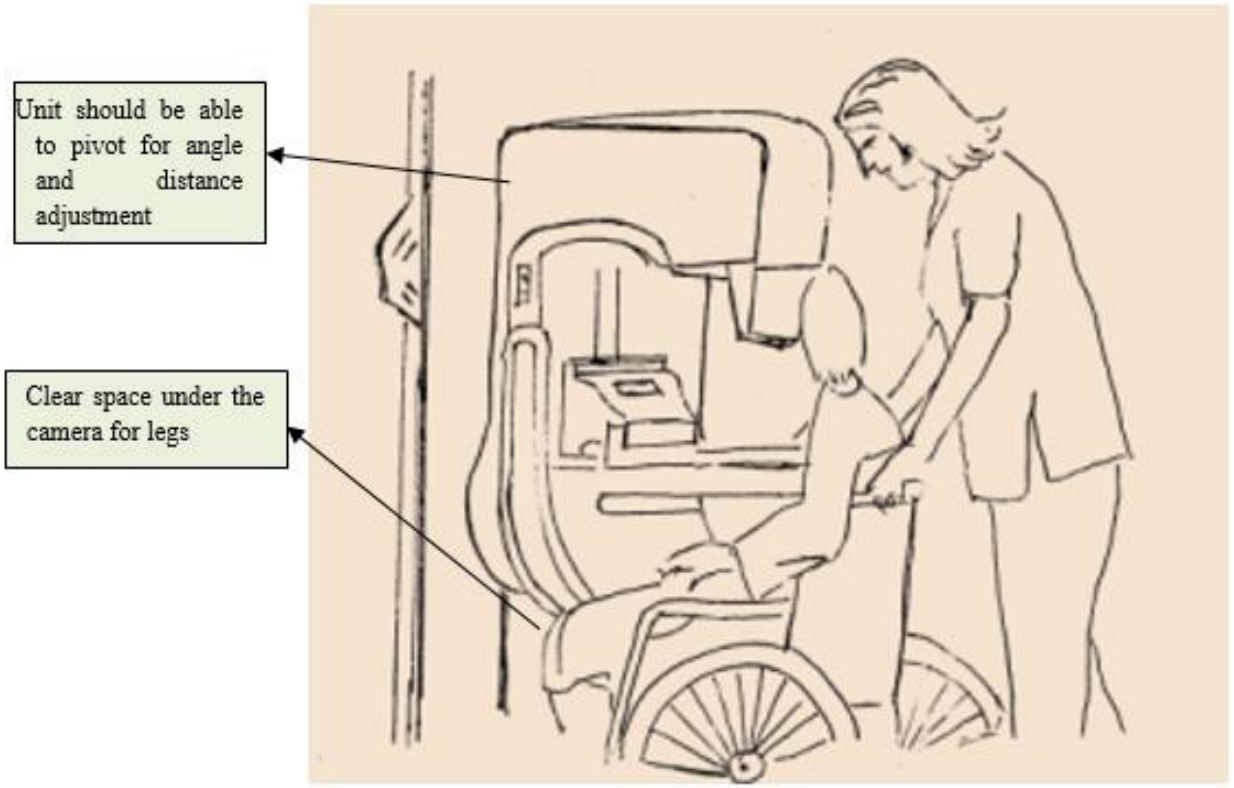

चित्र 3.5 सुगम मैमोग्राफी उपकरण

- कुछ रोगियों को आगे झुकने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है।
- यूनिट में कोण और दूरी समायोजन के लिए धुरी का प्रावधान होना चाहिए।
- उपकरण के लिए पथ सुगम होना चाहिए।
- उपकरण की स्थिति को आगे, साइड के साथ-साथ कोणीय पहुंच की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

7.4.2. समायोज्य ऊंचाई वाले स्ट्रेचर के साथ डेंसिटोमीटर

अधिकांश डेंसिटोमीटर नियत ऊंचाई वाले होते हैं, इसलिए तल की ऊंचाई से 450 मिलीमीटर, जो व्हीलचेयर सीट का स्तर है, के निचले स्तर तक समायोज्य ऊंचाई वाले एक गर्नी की आवश्यकता होती है।

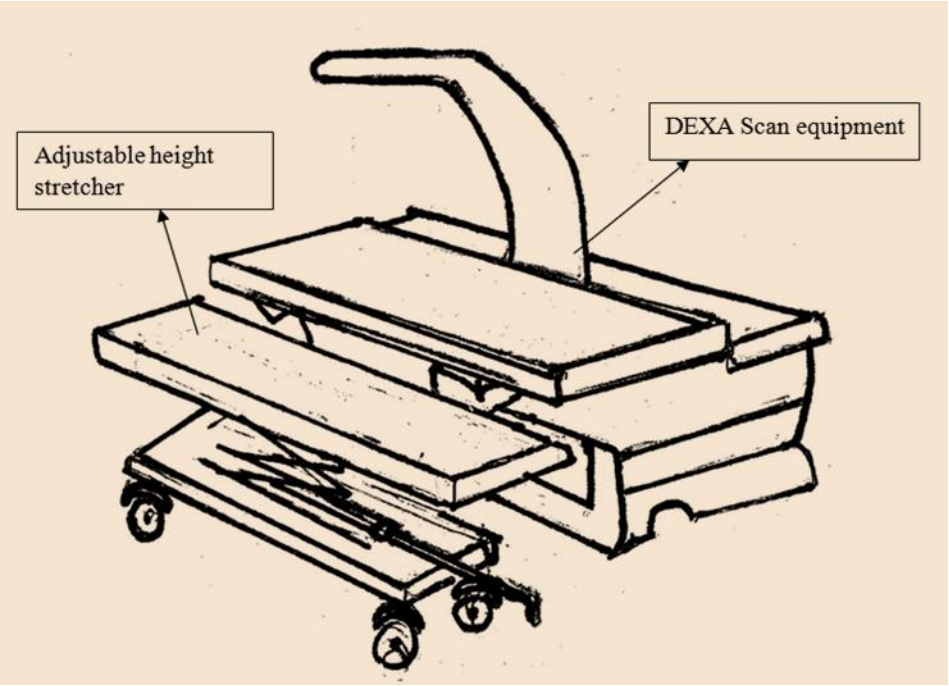

चित्र 3.6 समायोज्य ऊंचाई वाले स्ट्रेचर के साथ डेंसिटोमीटर

7.5. वजन तुला

मोटापा, डायबिटीज मेलिटस, कैंसर इत्यादि जैसी विभिन्न चिकित्सीय स्थितियों के प्रबंधन में रोगी का वजन करना आवश्यक होता है। व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति के लिए सामान्य वजन तुला का उपयोग करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि व्हीलचेयर को उपकरण के प्लेटफॉर्म पर नहीं ले जाया जा सकता है। सुगम वजन तुला में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:

- एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर व्हील चेयर या स्कूटर को उठाकर रखा जा सकता है और स्थिर किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म की चौड़ाई और लंबाई इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।
- तुला की सतह फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए और व्हीलचेयर को स्थिर करने पर यह हिलना नहीं चाहिए, इसलिए उच्च कंट्रास्ट किनारों के साथ फिसलनरोधी प्लेटफॉर्म होना चाहिए।
- तुला की भार वहन क्षमता अधिक अर्थात् न्यूनतम 250 किलोग्राम होनी चाहिए। व्हीलचेयर या स्कूटर के वजन की गणना करने में आसानी होनी चाहिए।

- इसमें वजन का उद्घोष करने वाली ध्वनि के साथ एक बड़ा डिजिटल प्रदर्श पटल होना चाहिए।
- ऐसे रोगी, जिसे खड़े होने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, के लिए तुला में हैंडरेल होनी चाहिए।

सुगम वजन तुला जो अन्य चिकित्सा उपकरणों में एकीकृत, जैसे एक होइस्ट या बेड में, होते हैं, भी उपलब्ध हैं। ऐसे वजन तुला भी उपलब्ध हैं जो फोल्डेबल और पोर्टेबल हैं। सुगम वजन तुला के प्रावधान के साथ, रोगी का वजन करने वाले कर्मचारियों को इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

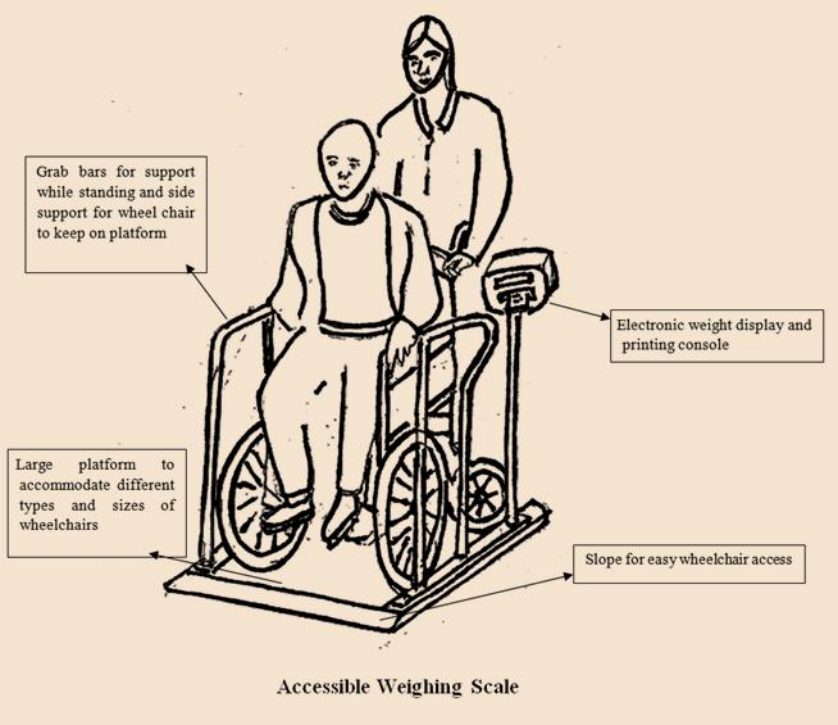

चित्र 3.7 सुगम वजन तुला

7.6. कमोड और शॉवर ट्रांसफर बेंच

शॉवर बेंच और कमोड चेयर में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:

- फोल्डिंग सपोर्ट रेल के साथ पोर्टेबल
- पार्श्वीय स्थानांतरण की सुविधा

- ऊंचाई समायोजन
- फिसलन-रोधी पाद
- दबाव के कारण होने वाली पीड़ा को रोकने के लिए गद्दीदार सीट।
- सीट को खिसकाने या घुमाने की सुविधा के साथ आसान स्थानांतरण
- बेंच के हटाने योग्य हिस्से को हटाकर शॉवर ट्रांसफर बेंच को कमोड में बदलने की क्षमता।

7.7. पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा उपकरण और फर्नीचर

पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा उपचार के लिए एक मानक चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है

- 400-450 मिलीमीटर की न्यूनतम ऊंचाई तक ऊंचाई समायोजन और सुरक्षित स्थानांतरण एवं अवस्थिति के लिए पर्याप्त चौड़ाई वाली रोगी जांच और उपचार मेज
- सहायक गद्दी, स्ट्रैप और रेल

मालिश और कुछ अन्य आयुर्वेदिक उपचार जैसे उपचार के लिए, विशिष्ट मेजें हैं और बाजार में उपलब्ध हैं किंतु उनमें सभी सुगम्यता विशेषताएं होनी चाहिए।

7.8. हास्पिटल क्रिब एवं इन्क्यूबेशन यूनिट

स्तनपान, जुड़ाव और आराम देने के लिए, यह क्षेत्र दिव्यांग माताओं के लिए सुगम होना चाहिए।

क्रिब और इन्क्यूबेशन यूनिट में समायोज्य ऊंचाई वाले पाद होने चाहिए ताकि व्हीलचेयर पर बैठी माताओं को अपने बच्चे तक पहुंचने के लिए पैरों के लिए आवश्यक स्थान मिल सके।

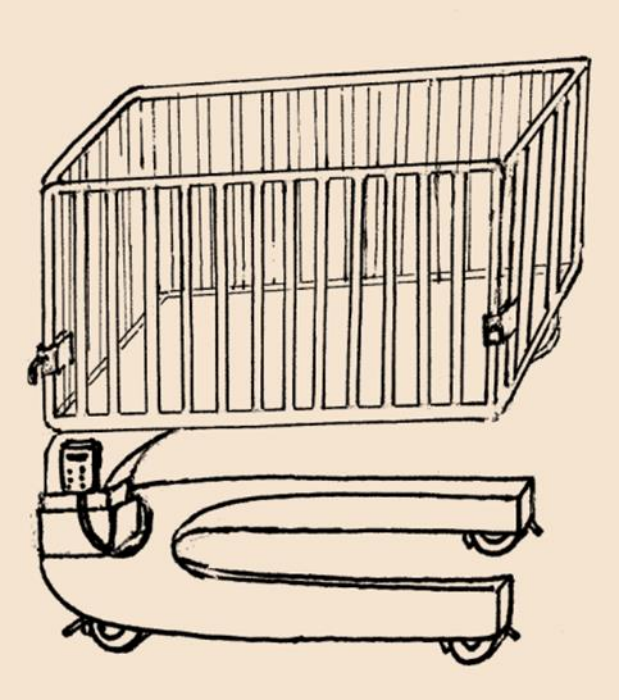

चित्र 3.8 सुगम हॉस्पिटल क्रिब

7.9. नेत्र विज्ञान और ऑप्टोमेट्री कुर्सियाँ और मेज

एक सुगम ऑप्थेल्मिक कुर्सी में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:

- दिव्यांगजनों की नेत्रजांच के लिए व्हीलचेयर से जांच कुर्सी पर स्वावलंबन से स्थानांतरण के लिए जांच कुर्सी की ऊंचाई 450 सेमी के निचले स्तर पर समायोज्य होनी चाहिए।
- व्हीलचेयर के संचालन के लिए स्वावलंबन से स्थानांतरण के लिए कुर्सी के चारों ओर पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है।
- व्हीलचेयर से स्थानांतरण के लिए पोर्टेबल होइस्ट या रोगी लिफ्ट की आवश्यकता हो सकती है।
- अपवर्तक उपकरणों तक आसानी से पहुंचने के लिए कुर्सियों को आमतौर पर तल से बांधा दिया जाता है इसलिए व्हीलचेयर संचालन करने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है।
- उपलब्ध स्थान में नेत्र रोग विशेषज्ञ की कुर्सी आसानी से गतिशीलयोग्य होनी चाहिए ताकि जब व्यक्ति व्हीलचेयर पर बैठा हो तो जांच संभव हो सके।

- कुर्सी की ऊंचाई तल से सीट के शीर्ष तक 400-450 मिलीमीटर की न्यूनतम ऊंचाई के साथ समायोज्य होनी चाहिए।
- फ्लोर रेस्ट चलनशील और वियोज्य होना चाहिए।
- आर्म रेस्ट फोल्डेबल या हटाने योग्य होना चाहिए।

7.10. दंतचिकित्सा के लिए कुर्सियां

दंत जांच और निवारक या उपचारात्मक उद्देश्यों के लिए प्रक्रियाओं हेतु दंतचिकित्सा कुर्सियों की आवश्यकता होती है। सुगम दंतचिकित्सा कुर्सी में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:

- झुकाव के विभिन्न कोणों पर समायोजित करने का प्रावधान
- व्हीलचेयर से आसानी स्वावलंबी स्थानांतरण के लिए 400-450 मिलीमीटर की न्यूनतम ऊंचाई के साथ समायोज्य ऊंचाई।
- 90 डिग्री में घुटनों की अवस्थिति के लिए पीछे की ओर झुककर बैठने वाली सीट उपयोगी है।
- सहायक उपकरण जैसे बेल्ट और स्ट्रैप
- एक व्हीलचेयर पर बैठे रोगी के लिए भी अलग-अलग ऊंचाई पर समायोज्य दंत चिकित्सा उपकरण और प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाना है।
- जहां भी संभव हो व्हीलचेयर लिफ्ट का उपयोग करना बेहतर होता है जो व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति की अवस्थिति को यथोचित रखती है ताकि व्यक्ति को दंतचिकित्सा कुर्सी पर स्थानांतरित किए बिना दंत जांच और प्रक्रियाएं पूरी की जा सकें।

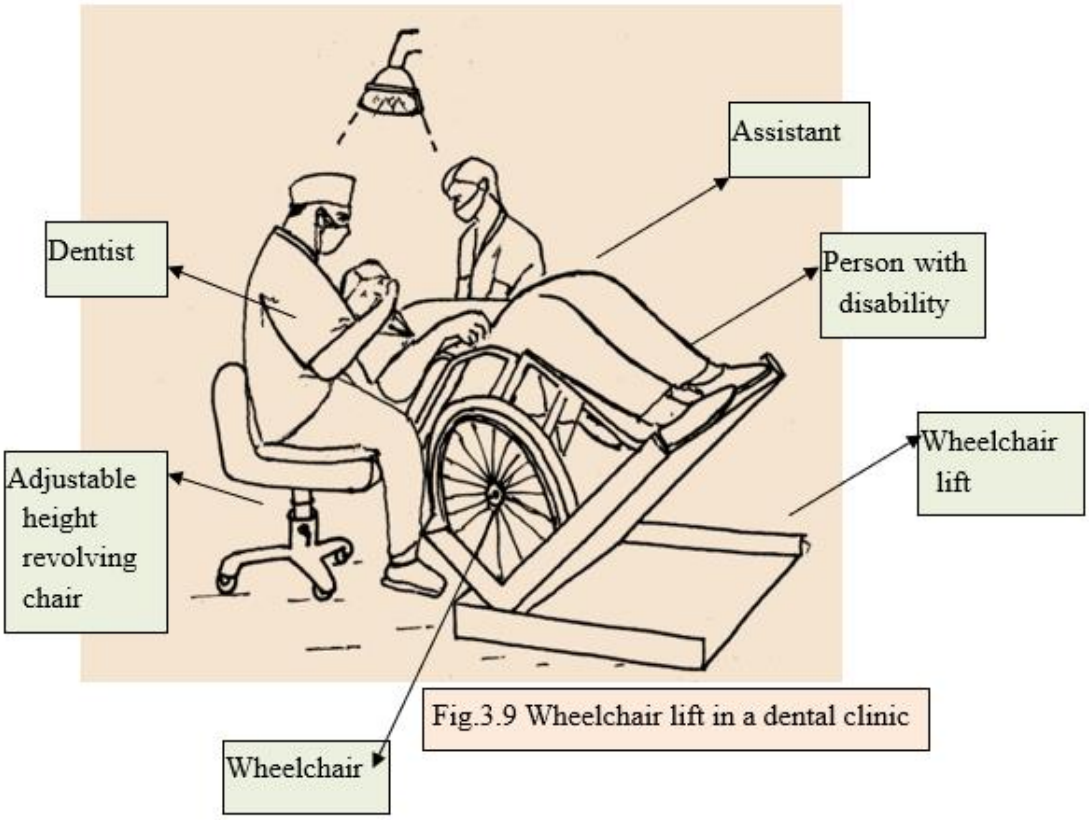

Fig.3.9 Wheelchair lift in a dental clinic

चित्र 3.9 दंत चिकित्सालय में व्हीलचेयर लिफ्ट

7.11. प्रसव कुर्सी

कुछ केंद्रों में प्राकृतिक प्रसव के लिए अस्पताल बेड की बजाय प्रसव कुर्सी का उपयोग किया जाता है। सुगम प्रसव कुर्सी दो प्रकार की होती हैं

I. निश्चित ऊंचाई और बैक रेस्ट टाइप

- कुर्सी की सीट व्हीलचेयर के स्तर पर होनी चाहिए
- आर्म रेस्ट फोल्डेबल होना चाहिए

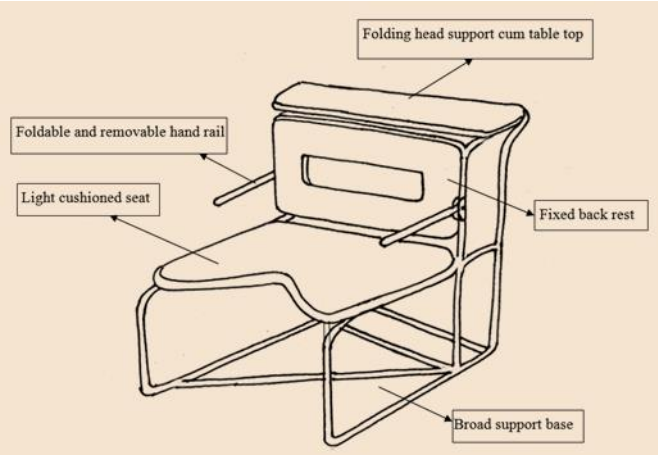

चित्र 3.10 नियत ऊंचाई और बैक रेस्ट वाली प्रसव कुर्सी

II. समायोज्य ऊंचाई और बैक रेस्ट प्रकार की प्रसव कुर्सी

- तल से सीट के शीर्ष तक 400-450 मिलीमीटर की न्यूनतम ऊंचाई तक कुर्सी की समायोज्य ऊंचाई।
- चलनशील और वियोज्य फुट रेस्ट। फुट रेस्ट को बैठने की स्थिति के अनुसार समायोजित किए जाने योग्य होना चाहिए।
- छड़ के साथ हटाने योग्य और स्विंग आउट प्रकार के आर्म रेस्ट
- रिक्लाइनिंग बैक के साथ रिक्लाइनिगं सीट, जो 90 डिग्री में घुटनों की अवस्थिति में उपयोगी है।
- लिथोटोमिक अवस्थिति के लिए लेग सस्पेंडर्स
- सहायक उपकरण जैसे बेल्ट और चेस्ट स्ट्रैप आदि।

7.12. आधान रिक्लाइनर

आधान रिक्लाइनर कुर्सियों का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है जैसे किमोथेरेपी प्राप्त करना, रक्त दान करना, डे केयर रिकवरी इत्यादि। कुछ उपचारों में रोगी को कुर्सी पर 12 घंटे तक लंबे समय तक बैठने की आवश्यकता होती है, इसलिए रिक्लाइन आरामदायक होना चाहिए।

सुगम रिक्लाइनर में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:

- व्हीलचेयर से आसानी से स्वावलंबी स्थानांतरण के लिए 400 से 450 मिलीमीटर की न्यूनतम ऊंचाई के साथ समायोज्य ऊंचाई।
- रिक्लाइनिंग बैक
- स्विंग अवे और हटाने योग्य आर्म रेस्ट
- गद्दीदार लैग सपोर्ट
- अच्छी गुणवत्ता वाले आरामदायक गद्दीदार सीट।

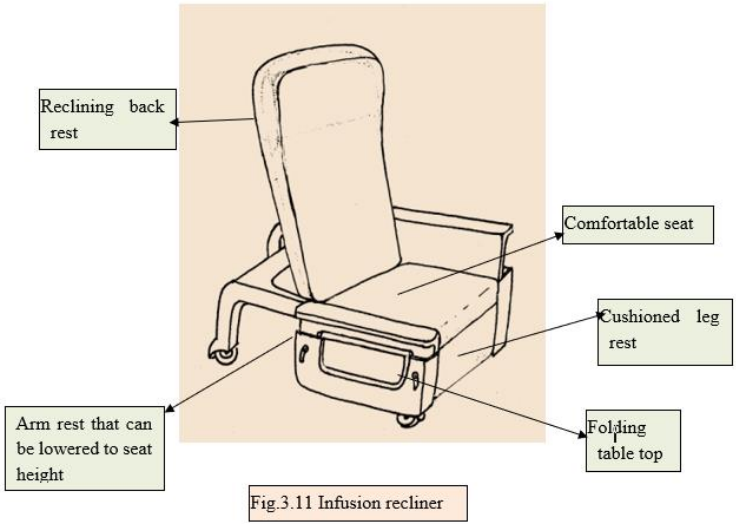

Fig.3.11 Infusion recliner

चित्र 3.11 आधान रिक्लाइनर

7.13. अस्पताल बेड

एक सुगम अस्पताल के बिस्तर में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:

- स्ट्रेचर या व्हीलचेयर आदि पर आसान स्थानांतरण के लिए बेड का स्तर समायोज्य होना चाहिए।
- बेड पर लेटना और उतरना आसान होना चाहिए।
- बेड से व्हीलचेयर तक और इसके विपरीत आसान स्थानांतरण के लिए बेड को नीचे लाने के लिए तल और गद्दे के शीर्ष के बीच 400 से 450 मिलीमीटर की ऊंचाई तक समायोज्य ऊंचाई।

- गिरने से बचाव के लिए इसमें हटाने योग्य और फोल्डिंग साइड रेलिंग होनी चाहिए।
- रोगी लिफ्ट जैसे पोर्टेबल उपकरण के पैरों को समायोजित करने के लिए बेड के नीचे स्पष्ट लंबवत स्थान होना चाहिए।
- दबाव से होने वाली पीड़ा को रोकने के लिए गद्दा पर्याप्त मोटाई का होना चाहिए।
- बेड को रिमोट संचालित बेड ऊंचाई और अवस्थिति नियंत्रण के साथ मोटर चालित होना चाहिए।
- ये सीमित पहुंच या पहुंच विहीन, सीमित-दृष्टि या उचित चलन क्षमता वाले व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जाने योग्य होने चाहिए।

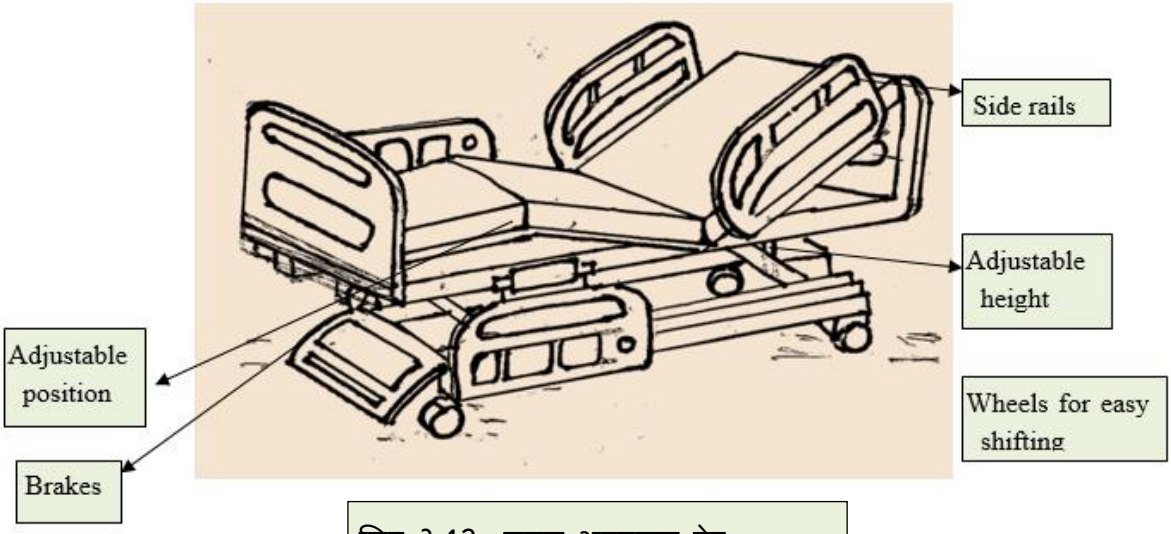

चित्र 3.12. सुगम अस्तपाल बेड

7.14. गुर्नी या पहिएदार स्ट्रेचर

इनका उपयोग अस्पतालों में रोगियों को निदान और उपचार प्रक्रियाओं जैसे अल्ट्रासाउंड परीक्षा, ईसीजी, कैथीटेराइजेशन आदि के लिए स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। रेडियोलॉजी विभाग में एक्स-रे उपकरण और डीईएक्सए स्कैन उपकरण जैसे कुछ उपकरणों में पोर्टेबल फ्लोर लिफ्टों के उपयोग हेतु स्थान नहीं होता है और कभी-कभी लिफ्ट का धातु वाला हिस्सा प्रक्रिया के अनुकूल नहीं होता है इसलिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में स्ट्रेचर या गुर्नियों, जो पहिएदार और ऊंचाई समायोजन की व्यवस्था के साथ होते हैं, यदि आवश्यक हो, का उपयोग

स्लाइडिंग बोर्ड के साथ रोगियों को लाने और स्थानांतरित करने दोनों के लिए किया जा सकता है। उनमें निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:

- अतिरिक्त चौड़ाई, लगभग 1000 मिलीमीटर तक
- 250 किलोग्राम तक भार वहन क्षमता।
- इसके शीर्ष को उस सतह के स्तर, जिस पर दिव्यांग व्यक्ति को व्हीलचेयर सीट पर स्थानांतरित या स्थानांतरित किया जाना है, तक लाने के लिए, तल की सतह के ऊपर ऊंचाई को 400 मिलीमीटर तक के निचले स्तर तक समायोजित करने की व्यवस्था।
- स्थानान्तरण को आसान बनाने के लिए पर्याप्त लंबाई।
- गिरने से बचाव के लिए सेफ्टी स्ट्रैप और फोल्डिंग रेल
- दिव्यांग व्यक्ति के स्थानांतरण के दौरान फिसलने या हिलने-डुलने से रोकने के लिए लॉक करने योग्य पहिए।

7.15. आधान पंप

अपने घर पर ही आराम, सुविधा और गोपनीयता के साथ आवश्यक पोषक तत्वों या दवाओं को प्रशासित करने के लिए दिव्यांगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पंपों में निम्नलिखित होना चाहिए:

- सार्वभौमिक रूप से डिज़ाइन किए गए उच्च कंट्रास्ट रंग और उभरे हुए अक्षर वाले नियंत्रण
- स्क्रीन पर लघु संवृत्त सेट व्यवस्था के स्थान पर स्विच
- श्रवण, दृश्य और स्पर्श (जैसे, कंपन) अलर्ट निर्धारित करने का प्रावधान।
- कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग करके नए आधान पंपों की आधान दर को नियंत्रित किया जा सकता है।

7.16. पुनर्वास उपकरण

- सुगम व्यायाम मशीन और उपकरण जैसे ट्रेडमिल, मल्टी-एक्सरसाइज स्टेशन, अपर एंड लोअर बॉडी रेजिस्टेंस स्टेशन, रोइंग मशीन, रिकम्बेंट साइकल, एलिप्टिकल साइकल, अपराइट साइकल, वाइब्रेशन ट्रेनिंग और अपर बॉडी एर्गोमीटर में निम्नलिखित अतिरिक्त विशेषताएं होनी चाहिए:

- बड़े चमकीले बटन
- स्क्रीन पर डिस्प्ले बड़े आकार के अक्षर के साथ होना चाहिए।
- संकेतक श्रव्य और दृश्यमान होने चाहिए।
- श्रव्य और दृश्यमान चेतावनी संकेत होने चाहिए।
- उनके कंसोल पर कंट्रास्ट कलर ग्रिप और लीवर और उभरी हुई आइकनोग्राफी होनी चाहिए।
- उपकरण में कंट्रास्ट कलर में ट्रेडमिल बेल्ट पर एक लोगो या चित्र होना चाहिए तथा बेल्ट और धातु की सतह के बीच अच्छा कंट्रास्ट यह पहचानने के लिए होना चाहिए कि बेल्ट गतिशील है।
- व्यायाम उपकरण में धीमी गति से स्टार्ट होने वाली स्विंग सीट होनी चाहिए।
- व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए उपकरण तक पहुंच आसान होनी चाहिए।
- सिंगल हैंड सीट एडजस्टमेंट की सुविधा उपयोगी है।
- ट्रेडमिल में आपातकालीन स्टॉप सिस्टम होना चाहिए।
- रिकम्बेंट साइकल, एक स्टेप थ्रू डिज़ाइन और पैडल के साथ फिक्स्ड हील स्ट्रैप और एडजस्टेबल टो स्ट्रैप वाली मशीनें के साथ होना चाहिए।
- एलिप्टिकल साइकल, अच्छे लॉकिंग तंत्र के साथ होना चाहिए।
- जहां भी संभव हो, सार्वभौमिक डिजाइन सुविधाओं वाले उपकरण हमेशा बेहतर होते हैं।

8. प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण का लक्ष्य दिव्यांग व्यक्तियों को निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास चिकित्सा परिचर्या की बेहतर डिलीवरी प्रदान करना है।, सेवाएं प्रदान करने में विभिन्न प्रकार की बाधाओं के बेहतर ज्ञान के प्रशिक्षण के बाद, सेवा प्रदान करने में शामिल जनशक्ति संवेदी, चलन, संज्ञानात्मक या संवाद अक्षमता वाले दिव्यांग व्यक्तियों को चिकित्सा परिचर्या की प्रदायगी में सुधार करने में मदद करने में सक्षम होगी। वे बेहतर संवाद द्वारा इन बाधाओं को दूर करने में दिव्यांग व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं, व्यक्तियों के साथ तालमेल विकसित कर सकते हैं और उपलब्ध विभिन्न सेवाओं के उपयोग में उनकी सहायता कर सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यशालाओं के रूप में आयोजित किया जा सकता है जिसमें कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी उपयोगी होती है। स्वास्थ्य सुविधा में आने वाले दिव्यांगजनों के लिए एक फीडबैक कार्यशाला भी बहुत उपयोगी होगी।

प्रशिक्षण के दौरान, कर्मचारियों को यह बताने की आवश्यकता है कि विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए संवाद के विभिन्न तरीकों और विधियों की आवश्यकता हो सकती है। चिकित्सा कर्मचारियों की अपेक्षाएँ और दिव्यांग रोगियों की अपेक्षाएँ, एक दूसरे से, अन्य रोगियों की तुलना में भिन्न हो सकती हैं। यहां तक कि व्यवहार संबंधी अपेक्षाएं भी भिन्न हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों की समस्याओं और उनके समाधान के तरीकों को समझना आवश्यक है। कर्मचारियों को उपयोग किए जा सकने वाले विभिन्न संवाद माध्यमों के बारे में सिखाया जाता है। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि रोगियों को दिशा-निर्देश कैसे दिए जाएं। उन्हें संवाद के वैकल्पिक साधनों के बारे में पता होना चाहिए जिनका उपयोग इन व्यक्तियों के साथ बातचीत करते समय किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों के साथ व्यवहार करने के लिए उपयुक्त व्यवहार के बारे में सीखना महत्वपूर्ण है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि संवाद, जहां तक संभव हो, परिचारक के माध्यम से करने के बजाय सीधे दिव्यांगनजन के साथ होना चाहिए। उन्हें चिकित्सा परिचर्या प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य सुविधा में आने वाले दिव्यांग को सभी जानकारी और शिक्षा सामग्री, यदि आवश्यक हो तो श्रवण प्रारूप में, ब्रेल में या बड़े प्रिंट में प्रदान करनी चाहिए। उनकी समस्याओं और क्षमताओं के बारे में कोई धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए। जब व्यक्ति को समझने में समस्या होती है, तो परिचारक को भी समझाया जाना चाहिए ताकि सलाह के अनुसार उपचार किया जा सके। व्यक्ति की गरिमा, गोपनीयता और स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाए बिना प्रत्येक आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। दया या अनादर का प्रदर्शन करने वाली किसी भी अभिव्यक्ति से बचना चाहिए। अगर किसी चीज से पहुंच में बाधा आ रही है, तो समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को प्रशासन के साथ दिव्यांग व्यक्तियों के साथ

संवाद करने में आने वाली समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए ताकि समस्या का उत्तम समाधान खोजा जा सके।

उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान यह बताया जाना चाहिए कि कैसे विभिन्न उपकरणों में सम्मिलित की गई विशेषताएं इन उपकरणों को सुगम बनाती हैं। आईसीटी साधनों जैसे मैसेजिंग, ऐप और कॉल, सहित संवाद के तरीके और साधन तथा अलग-अलग दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के साथ वार्तालाप और संवाद करते समय बरती जाने वाली देखभाल और सावधानियां नीचे दी गई हैं:

8.1. दिव्यांगजनों के साथ वार्तालाप और संवाद

दिव्यांगजनों के साथ भी संवाद उतना ही प्रभावी होना चाहिए जितना कि दूसरों के साथ होता है। स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा में यह अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि संवाद करते समय एक छोटी सी गलती से उसकी चिकित्सा समस्या के प्रबंधन में अवांछित या हानिकारक परिवर्तन हो सकता है। दिव्यांगजन के साथ बातचीत करते समय, उसके साथ सम्मान, गरिमा, विचार और विनम्रता के साथ व्यवहार करने की भी आवश्यकता होती है। उन्हें स्वस्थ व्यक्ति की भांति ही समान अवसर और अधिकार प्राप्त हैं। दिव्यांगजन के साथ बातचीत करते समय -

- दिव्यांग व्यक्ति को उसके नाम से संबोधित करें, अधिमानतः पहले नाम से।
- यह दिखाने के लिए कि आप परवाह कर रहे हैं, व्यक्ति को सिर या कंधे पर थपथपाएं नहीं।
- यदि वह व्यक्ति आपकी सहायता के प्रस्ताव को ठुकराता है तो आग्रह न करें।
- परिचारक के माध्यम से बात करने के बजाय रोगी से सीधे संवाद करें।
- यदि आपको यह स्पष्ट नहीं है कि व्यक्ति को क्या देना है, तो व्याकुल न हों, उसे सहायता मांगने दें।
- ध्यान रखें कि व्यक्ति अपनी दिव्यांगता के कारण प्रत्युत्तर देने में अधिक समय ले सकता है इसलिए विचारशील रहें।
- सामान्य अभिव्यक्तियों, जो व्यक्ति की दिव्यांगता को देखते हुए उससे संबंधित नहीं हो सकते हैं, का प्रयोग न करें।

- सूचना प्रदान करने या दिव्यांग व्यक्ति के साथ वार्तालाप करने के लिए आईसीटी का उपयोग करते समय प्रासंगिक निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

8.1.1. दिव्यांगजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

दिव्यांगजन के साथ बातचीत करते समय स्वास्थ्य सुविधा के कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि

- बातचीत की भाषा "व्यक्तिपरक भाषा" होनी चाहिए अर्थात् अक्षमता से पहले व्यक्ति का उपयोग करें, इसलिए "व्यक्ति – जो दिव्यांग है" का उपयोग करें न कि "विकलांग व्यक्ति" का।

- जिस स्थिति से वह पीड़ित है, उसका उपयोग करते हुए उसे संबोधित करते समय पहले "व्यक्ति" का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, "व्यक्ति – जो सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है" का उपयोग करें न कि "सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्ति" का।

- व्हीलचेयर पर बैठे या उपयोग करने वाले व्यक्ति के स्थान पर "व्यक्ति – जो व्हीलचेयर का उपयोग करता है" का उपयोग करें, क्योंकि व्हीलचेयर व्यक्तियों की गतिशीलता में सुधार करने के लिए एक सहायक तकनीक है।

- "आप व्हीलचेयर पर कितने समय से हैं" के स्थान पर "आप कितने समय से व्हीलचेयर का उपयोग कर रहे हैं" पूछें।

8.1.2. लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्ति के साथ वार्तालाप और संवाद करना

लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय स्वास्थ्य सुविधा के कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि

- किसी व्यक्ति की क्षमताओं के बारे में धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए।

- गतिशीलता में मदद करने के लिए व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सहायता केवल तब प्रदान की जानी चाहिए जब वह व्यक्ति मांगे।

- यदि किसी व्यक्ति के सहायक यंत्र को उस स्थान, जहाँ उसे रखा गया है, से कहीं अन्य स्थान पर ले जाना है, तो ऐसा करने से पहले उससे पूछें।

- व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति से बात करते हुए, यदि बातचीत कुछ मिनट से अधिक लंबी हो तो रोगी के स्तर के समतल बैठने का प्रयास करना चाहिए।

- दिव्यांग व्यक्ति को निर्देश देते समय दूरी, सुगम्यता और मौसम की स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए।

- शरीर के ऊपरी हिस्से के कृत्रिम अंग वाले व्यक्ति से हाथ मिलाने से न बचें।

8.1.3. अल्प-दृष्टि या दृष्टिहीन दिव्यांगजनों के साथ वार्तालाप और संवाद

पर्याप्त आंतरिक और बाह्य प्रकाश व्यवस्था वाली अवसंरचना, अल्प-दृष्टि वाले दिव्यांगों के लिए सूचना प्रदर्शित करने के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों का उपयोग, प्रदर्शित जानकारी के अबाधित चित्र और श्रव्य माध्यमों से जानकारी प्रदान करने के प्रावधान स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के कुछ तरीके हैं। अल्प-दृष्टि या दृष्टिहीन दिव्यागों के साथ बातचीत करते समय, स्वास्थ्य सुविधा के कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि

- अल्प-दृष्टि या दृष्टिहीन दिव्यांगजनों से संपर्क करते समय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाता को अपना परिचय स्वयं देना चाहिए। यदि कोई अन्य व्यक्ति मौजूद है, तो उसका भी परिचय दें।

- लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्ति के विपरीत, दृष्टिहीन दिव्यांगजनों से बात करते समय कंधे या हाथ पर एक स्पर्श उपयुक्त होता है।

- व्यक्ति से आमने-सामने बात करें।

- तेज आवाज में न बोलें क्योंकि व्यक्ति आसानी से सुन सकता है।

- जब आप जा रहे हों तो उसे सूचित करें।

- निर्देश देते समय और बाधाओं के बारे में सूचित करते समय विशेष ध्यान दें।

- जब मदद की पेशकश की जाती है, तो व्यक्ति को आपकी बांह को छूने की अनुमति दी जानी चाहिए, इससे बेहतर मार्गदर्शन में मदद मिलेगी।

- व्यक्ति को पोस्ट की गई जानकारी या अलर्ट संकेत के बारे में सूचित करें।

- मालिक की अनुमति के बिना उसके साथ वाले कुत्ते को न छुएं और न ही उसके साथ खेलें।

8.1.4. श्रव्य विकार जैसे अल्प-श्रव्यता या बधिरता वाले दिव्यांगजनों के साथ वार्तालाप और संवाद

चिकित्सा परिचर्या में संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। सही तरीके से न समझ पाने से इतिवृत्त का गलत व्याख्या हो सकती है जिससे त्रुटिपूर्ण निदान की संभावना होगा। यदि व्यक्ति चिकित्सक द्वारा दिए गए निर्देशों को समझने में सक्षम नहीं है, तो इससे अनुचित या गलत उपचार हो सकता है।

श्रव्य अक्षमता वाले व्यक्ति आमतौर पर बोलकर या श्रवण सहायता यंत्र, मौखिक व्याख्याकार, उद्धृत भाषण व्याख्याकार या कंप्यूटर समर्थित रीयल टाइम ट्रांसक्रिप्शन (कार्ट) इत्यादि का उपयोग करके संवाद करते हैं।

छोटी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए लिखित सूचना प्रदान करना एक उपयोगी तरीका है। यदि लंबी बातचीत की आवश्यकता है या आदान-प्रदान की गई जानकारी जटिल या महत्वपूर्ण है, तो एक योग्य व्याख्याकार या एक सांकेतिक भाषा का व्याख्याकार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि किसी अव्यस्क रोगी के साथ श्रव्य अक्षमता वाला व्यक्ति हो तो भी एक व्याख्याकार की भी आवश्यकता होती है।

यदि आवश्यक हो तो, व्याख्या एक योग्य व्याख्याकार द्वारा की जानी चाहिए। किसी आपात स्थिति में परिवार के सदस्यों जैसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद ली जा सकती है। स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करते समय ऐसी कई स्थितियाँ होती हैं जहाँ सूचना के महत्व को देखते हुए प्रभावी संचार के लिए व्याख्याकार की आवश्यकता हो सकती है। व्याख्याकार दोनों पक्षों को जानकारी को प्रभावी ढंग से समझाने और संप्रेषित करने में सक्षम होना चाहिए। व्याख्या प्रभावी और निष्पक्ष होनी चाहिए और संवाद की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए।

सांकेतिक भाषा के व्याख्याकार केवल उन लोगों के लिए प्रभावी हैं जो सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। संवाद के अन्य तरीके जैसे ट्रांसक्राइबर का उपयोग उन लोगों के लिए आवश्यक हो सकता है जो जीवन में बाद में श्रवण क्षमता खो देते हैं और सांकेतिक भाषा का उपयोग नहीं करते हैं।

अस्पताल के कर्मचारियों को यथाशीघ्र व्याख्याकर प्राप्त करने के अस्पताल प्रोटोकॉल से सुअवगत होना चाहिए। सूचना बोर्ड या डिस्प्ले स्क्रीन को उस स्थान के पास रखा जाना चाहिए जहां आमतौर पर सूचना मांगी जाती है।

कुछेक बधिर दिव्यागजनों द्वारा टेलेटाइपराइटर (टीटीवाई, टीटीडी या टीडीडी) का उपयोग किया जाता है। यह डिवाइस बोले गए संदेश को अक्षरों में परिवर्तित करके टेलीफोन संचार में मदद करता है जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होते है।

जहां श्रव्य अलार्म प्रदान किए गए हैं, वहां दृश्य अलार्म भी प्रदान किए जाने चाहिए।

कुछ सार्वजनिक फोन टीटीवाई और श्रवण सहायक यंत्र के अनुरूप होने चाहिए। उनमें आवाज नियंत्रण (वॉल्यूम कंट्रोल) की व्यवस्था होनी चाहिए।

सभी संवाद सहायता बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

श्रवण अक्षमता वाले व्यक्तियों के साथ संवाद करने और उनके साथ व्यवहार करने के लिए स्वास्थ्य सुविधा के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर देने की आवश्यकता है:

- व्यक्ति से संवाद के तरीके के बारे में पूछें।
- सांकेतिक भाषा व्याख्याकार को पर्याप्त समय दें, विशेषकर जब कुछ तकनीकी शब्दों का उपयोग किया जाता है।
- जब आप उस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए धीरे से हाथ हिलाना या हाथ पर स्पर्श करना उपयोगी होता है।
- स्पष्ट रूप से अभिव्यंजक तरीके से और सामान्य स्वर में बोलें।
- जब आप उस व्यक्ति से बात करें तो उसे अपने होंठ पढ़ने दें। उससे बात करते समय अपना मुख उस व्यक्ति की ओर रखें।
- लिखते समय, उस व्यक्ति से बात न करें क्योंकि लिखित जानकारी की ओर देखते हुए व्यक्ति आपके होठों को नहीं पढ़ सकता है।
- उससे बात करते समय, इधर-उधर से आने वाले शोरगुल को कम करना बहुत उपयोगी होता है।
- यह आकलन करने के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रयास करें कि व्यक्ति को ठीक से समझ में आ रहा है।
- यदि उसके द्वारा बोली गई बात आपके समझ में नहीं आती है, तो उसे पुनः बोलने या लिखने के लिए कहने में संकोच न करें।

8.15. वाक् और भाषा संबंधी समस्याओं/कठिनाइयों वाले दिव्यांगजनों के साथ वार्तालाप और संवाद

दिव्यांगजन के साथ बातचीत करते समय स्वास्थ्य सुविधा के कर्मचारियों को निम्नलिखित बातें पता होनी चाहिए:

- विनम्र और मिलनसार बनें और उस व्यक्ति से वैसे ही बात करना शुरू करें जैसे किसी और के साथ करते हैं।
- उसके लिए बिना बोले, उसे बोलने के लिए समय दें और जो वह चाहता है उसे बताने दें।
- अपना ध्यान भंग न होने दें और व्यक्ति को पुनः बोलने के लिए कहें।
- बेहतर संवाद के लिए, जो आपको समझ में आया है उसे दोहराएं
- यदि उसके द्वारा बोली गई बात आपके समझ में नहीं आती है, तो उसे पुनः बोलने या लिखने के लिए कहने में संकोच न करें।
- किसी भी ऐसे उपलब्ध संवाद उपकरण का उपयोग करें जिसे व्यक्ति संवाद को बेहतर बनाने के लिए पसंद करता है।
- यदि व्यक्ति को कोई श्रव्य विकार नहीं है तो सामान्य स्वर में बोलें।
- संवाद को अति-सरल बनाकर उसका अपमान किए बिना संक्षिप्त और स्पष्ट प्रश्न पूछें।
- व्यक्ति के साथ संवाद के तरीके हतोत्साहित करने वाले नहीं होने चाहिए।

8.1.6. बौद्धिक अक्षमता वाले दिव्यांगजनों के साथ वार्तालाप और संवाद

सुगम सेवाएं प्रदान करने से पहले, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित बिंदुओं को जानना चाहिए:

- सतर्क रहें और यदि आवश्यक हो तो बेहतर संचार के लिए अपने संवाद के तरीके को इशारों, कागज पर लिखने, चित्र, निरूपण आदि में बदल दें।
- आसपास दिखाई देने वाली चीजों से संबंधित शब्दों के साथ सरल भाषा का प्रयोग करें।
- जानकारी स्पष्ट और सटीक रूप से प्रदान करें और पुष्टि करें कि व्यक्ति समझ गया है या नहीं।
- अगर व्यक्ति को समझ में नहीं आया है तो जानकारी को दोहराएं।
- जानकारी दोबारा प्रदान करने में संकोच न करें बल्कि अलग तरीके से जानकारी प्रदान करें।

- बौद्धिक अक्षमता वाले दिव्यांगजन, कर्मचारियों को खुश करने के लिए, यह दिखा सकते हैं कि उसे लगता है कि सूचना प्रदान करने वाला कर्मचारी अच्छा है। इसलिए, दूसरे तरीके से पूछकर प्रतिक्रिया की पुष्टि करें।
- व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी को समझने का दिखावा न करें।
- दिया गया निर्देश स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। बहुत अधिक निर्देश व्यक्ति को भ्रमित कर सकते हैं।
- धैर्य रखें और रोगी की प्रतिक्रिया से क्रोधित न हों। आपकी धारणा गलत हो सकती है।
- यदि व्यक्ति में स्मृति-न्यूनता होने की संभावना है, तो उन्हें याद नहीं भी रह सकता है और वे फिर से जानकारी मांग सकते हैं।
- संवाद के अपने तरीके को समायोजित करें और यदि व्यक्ति को श्रवण या दृश्य विकार है, तो बेहतर संवाद करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करें।
- बैकग्राउंड का शोरगुल कम से कम रखें।
- दो अलग-अलग व्यक्तियों से पूछे जाने पर एक ही प्रकार के प्रश्न के प्रत्युत्तर, जो आप प्राप्त करने में समर्थ है, के प्रकार में अंतर हो सकता है।
- व्यक्ति की साक्षरता स्थिति के बारे में अवगत रहें।

8.1.7. मानसिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के साथ वार्तालाप और संवाद

- व्यक्ति के साथ आई कान्टेक्ट बनाए रखें और उससे सीधे बात करें।
- संवाद को सरल और स्पष्ट रखें।
- धैर्य रखें और व्यक्ति की बात ध्यान से सुनें। कभी भी समझने का दिखावा न करें।
- उस व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ करेंगे।
- अपने व्यवहार में सावधान रहें, व्यक्ति इसकी व्याख्या अलग तरीके से कर सकता है।
- आपके शारीरिक भाव से यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि आप उस व्यक्ति के साथ असहज हैं।
- जानकारी स्पष्ट और सटीक रूप से प्रदान करें और पुष्टि करें कि क्या व्यक्ति समझ गया है।

- अगर व्यक्ति को समझ में नहीं आया है तो जानकारी को दोहराएं।
- जानकारी दोबारा देने में संकोच न करें बल्कि अलग तरीके से जानकारी प्रदान करें।
- व्यक्ति की प्राथमिकता या प्रत्युत्तर के बारे में धारणा न बनाएं। व्यक्ति को एक वयस्क के रूप में मानें। उसके लिए निर्णय न लें।
- ऐसी सलाह या सहायता प्रदान न करने जिसकी मांग नहीं की गई हो।
- यदि व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है, तो घबराएं नहीं और मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। यह पता लगाने की कोशिश करें कि आप कैसे मदद कर सकते हैं।
- मानसिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने के संबंध में आपको फिल्मों और सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

9.0. सुगम संचार

यूएनसीआरपीडी दस्तावेज के अनुच्छेद 9 के अनुसार, दिव्यांगजनों को सुगम जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इसके लिए, उन्हें आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सहायता की आवश्यकता होती है। जानकारी इस तरह से प्रदान की जानी चाहिए कि इसे समझना आसान हो ताकि वे अपनी पसंद चुनने और निर्णय लेने में सक्षम हों।

वेबसाइटों, प्रकाशनों, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से या सीधी बैठकों के माध्यम से सुगम जानकारी प्रदान की जा सकती है। संचार की योजना बनाते समय समाज के सभी समूहों की आवश्यकताओं पर विचार किया जाना चाहिए।

- दिव्यांगजनों को प्रदान की जा रही जानकारी का आसानी से समझ में आने योग्य होना आवश्यक है।
- यदि समझने में कठिनाई हो तो अन्य तरीके से जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
- अक्षर रूप में जानकारी की व्याख्या करने वाले चित्र उपयोगी होते हैं।
- उपयोग की जाने वाली भाषा समझने में आसान, संक्षिप्त, छोटे पैराग्राफ में और अधिक से अधिक सुपाठ्य होनी चाहिए।
- अधिकतम सुपाठ्यता के लिए उपयुक्त फ़ॉन्ट आकार का उपयोग करें और एरियल या ताहोमा फोंट में टाइप करें।
- रंगों के मामले में सावधान रहें, आवश्यक जानकारी और उसकी चतुर्सीमा के बीच पर्याप्त अंतराल प्रदान करें।
- शब्दों, पंक्तियों और पैराग्राफ के बीच की दूरी इतनी होनी चाहिए कि जानकारी को आसानी से सुगम बनाया जाए।
- यह बेहतर है कि सजावटी अक्षर, तिरछे रूप में अक्षर और 14 से कम आकार के फोंट में अक्षरों का उपयोग न करें।
- छोटे अक्षरों को पढ़ना आसान होता है इसलिए सभी बड़े अक्षरों में शब्द लिखने से बचें। टेबल और ग्राफ के प्रयोग से बचें।
- कभी भी ऐसी पृष्ठभूमि का उपयोग न करें जिससे पाठ को पढ़ना मुश्किल हो।

- जहां भी संभव हो ऑडियो फाइल उपलब्ध कराएं।
- उपयोगकर्ताओं को किसी कार्य को पूरा करने का तरीका चुनने की अनुमति देकर लचीलेपन की सुविधा प्रदान करें।

10. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग

ऑनलाइन सूचना, एपाइंटमेंट, पंजीकरण और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या भुगतान ऐप का उपयोग करके भुगतान की सुविधा प्रदान करना

10.1. वेबसाइट सुगम्यता

वेबसाइट सुगम्यता के लिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए "भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश (संस्करण 2.0)" " का पालन करें, जो केंद्रीय सचिवालय कार्यालय कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका के एक अभिन्न अंग के रूप में उपलब्ध हैं।

इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन से अल्प-दृष्टि, बधिर और श्रवण अक्षमता, अधिगम अक्षमता, संज्ञानात्मक सीमाएं, सीमित संचलन, वाक् अक्षमता और इनमें से एक से अधिक अक्षमता जैसी विभिन्न दिव्यागताओं वाले व्यक्तियों के लिए वेबसाइट सुगम हो जाएगी, जो अन्यथा वेब तक पहुंच में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है कि सहायक तकनीक का उपयोग करने वाला कोई भी दिव्यांगजन आसानी से वेबसाइट पर नेविगेट कर सकता है। अनुपालन मैट्रिक्स में संदर्भ संख्या के साथ सभी सुगम्यता दिशानिर्देशों को एक अलग खंड में सूचीबद्ध किया गया है।

वैकल्पिक सुगम प्रारूप, सहायक से सहायता प्राप्त करने के लिए संपर्क जानकारी को संप्रेषित करते हुए एक सुगम्यता विवरण बनाया जाना चाहिए। प्रकाशन को एचटीएमएल प्रारूप में और यदि संभव हो तो पीडीएफ प्रारूप में भी उपलब्ध कराएं। आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली अन्य भाषाओं में अनुवादित संस्करण उपलब्ध कराएं।

10.2. आईसीटी उत्पादों और सेवाओं की सुगम्यता के लिए बीआईएस मानक

यह देखते हुए कि सूचना, पंजीकरण और भुगतान आदि तक पहुँच बनाने के डिजिटल साधन अभिभावी हो गए हैं, इन विधियों को प्रासंगिक वेबसाइटों, ऐप, डिजिटल दस्तावेज़ों और सॉफ़्टवेयर को हाल ही में प्रकाशित बीआईएस मानक आईएस 17802 "आईसीटी उत्पादों और सेवाओं के लिए सुगम्यता - आवश्यकताएं" के अनुपालन में तैयार करते हुए सुगम बनाना चाहिए। इस मानक में जीआईजीडब्ल्यू 2.0 में संदर्भित वेब और मोबाइल ऐप के लिए सुगम्यता आवश्यकताओं को अद्यतन किया गया है। इनके अलावा, इस मानक में संपादन योग्य और पीडीएफ दस्तावेज, ऑनलाइन एप्लिकेशन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट फोन और अन्य उपकरणों के लिए सॉफ्टवेयर, प्रसारण,

दोतरफा संचार, सहायता प्रलेखन और आपातकालीन और रिले सेवाओं (सहायता डेस्क सहित) को कवर किया गया है। जिन संस्थानों ने जीआईजीडब्ल्यू 2.0 को कार्यानवित किया है, वे मानक (निर्दिष्ट समय सीमा में) को अपना सकते हैं। नए सिरे से वेबसाइट, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सिस्टम, जिनमें पंजीकरण मॉड्यूल, भुगतान मॉड्यूल आदि शामिल हैं, को कार्यान्वित करने वाले संस्थान अपने सभी आईसीटी उत्पादों और सेवाओं के संबंध में शुरुआत से ही ऊपर निर्दिष्ट आईएस 17802 का अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं। शीघ्र कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से अग्रलिखित प्रासंगिक हैं: पंजीकरण और भुगतान के लिए नागरिकों / रोगियों / देखभाल करने वालों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी ऐप, सहमति फॉर्म, ई-प्रिस्क्रिप्शन, ई-फार्मेसी, और टेलीमेडिसिन (ई-संजीवनी) आदि। इसी प्रकार, स्वास्थ्य परिचर्या के सभी घटक - निवारक, उचारात्मक और उपशामक, जिनमें लाभकारी ढंग से आईसीटी हस्तक्षेपों का उपयोग किया जाना है या उपयोग किया जा सकता है, आईसीटी की खरीद और उपयोग दोनों में इस मानक का पालन करने से लाभान्वित होंगे क्योंकि इसमें सभी दिव्यांगताओं को संबोधित किया गया है। एक अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि उपरोक्त मानक सभी भारतीय भाषाओं का समर्थन करते हैं। इस प्रकार, सभी आईसीटी में अंग्रेजी और हिंदी के अलावा स्थानीय भाषा का प्रावधान होना चाहिए।

सभी आवश्यक ऐप जैसे को-विन, आरोग्य सेतु आदि को बिना किसी देरी के सुगम बनाया जाना चाहिए।

11. सुगम उपकरण और फर्नीचर के उपयोग के लिए सुझाए गए स्थान के आयाम और विनिर्देश

क्रम सं.	उपकरण / सहायक यंत्र / उपस्कर / कार्यकलाप	आयाम / विनिर्देश
1	व्हीलचेयर	व्हीलचेयर की लंबाई - 1100 मिलीमीटर से 1300 मिलीमीटर व्हीलचेयर की चौड़ाई - 600 मिलीमीटर से 750 मिलीमीटर मोड़ने के लिए वृत्ताकार स्थान का व्यास – 1500 मिलीमीटर मेज के नीचे पैरों के स्थान के लिए सुविधाजनक ऊंचाई - 700 मिलीमीटर
2.	स्थानांतरण सतह	ऊंचाई कम ऊंचाई पर स्थानांतरण - 400 से 500 मिलीमीटर अधिक ऊंचाई पर स्थानांतरण - 650 मिलीमीटर स्थानांतरण सतह का निचला छोर 400 मिलीमीटर x 700 मिलीमीटर स्थानांतरण सतह की साइड 700 मिलीमीटर x 700 मिलीमीटर
3.	रोगी द्वारा आसन अवस्थिति में उपयोग किया जाने वाला उपकरण	व्हीलचेयर के लिए स्थान: i). तल पर चौड़ाई - न्यूनतम 920 मिलीमीटर उत्थित मंच

		ii). उत्थित मंच की चौड़ाई – न्यूनतम 820 मिलीमीटर iii.) व्हीलचेयर के प्रवेश और निकास के लिए समान दरवाजे वाले मंच की गहराई - 1220 मिलीमीटर प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग दरवाजे वाले मंच की गहराई – 1020 मिलीमीटर साइड की ओर से प्रवेश के लिए मंच की गहराई - 1520 मिलीमीटर उपकरण के नीचे गहराई - 620-720 मिलीमीटर पैर की अंगुली के लिए खुला स्थान - पैर की अंगुली के लिए खुले स्थान की ऊंचाई – 230 मिलीमीटर पैर की अंगुली के लिए खुले स्थान की गहराई – 150 मिलीमीटर घुटने के लिए खुले स्थान की गहराई – 490 मिलीमीटर घुटने के लिए खुले स्थान की ऊंचाई – 560 मिलीमीटर घुटने के लिए खुले स्थान की गहराई - 680 मिलीमीटर प्रवेश पर सतह का किनारा - यदि सतह की ऊंचाई 7 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर तक है, तो 1:2 की ढलान के साथ प्रवण होना चाहिए यदि सतह की ऊंचाई 15 मिलीमीटर से अधिक है, तो रैंप के किनारे पर 50 मिलीमीटर ऊंचा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। मैमोग्राफी ब्रेस्ट प्लेटफॉर्म समायोज्यता - तल से 670 से

		1070 की ऊंचाई पर। उपकरण के आधार को कसने के लिए पोर्टेबल लिफ्ट के पाद हेतु पोर्टेबल फ्लोर लिफ्ट संगतता: उपकरण के आधार में खुला स्थान: 990 मिलीमीटर चौड़ा X तल से 150 मिलीमीटर ऊँचा X 650 मिलीमीटर अधिकतम चौड़ा आधार के लिए मेज के किनारे से 920 मिलीमीटर गहरा
4.	रोगी द्वारा खड़ी अवस्थिति में उपयोग किया जाने वाला उपकरण	सतह - फिसलनरोधी निचले छोर के लिए स्थानांतरण समर्थन -340 मिलीमीटर लंबा, मंच की सतह का 80% साइड की ओर से स्थानांतरण के लिए -700 मिलीमीटर लंबा, स्थानांतरण सतह की चौड़ाई के आधार पर संशोधित किया जा सकता है। क्षैतिज स्टैंडिंग सपोर्ट ग्रिप की लंबाई - तल से 870-970 मिलीमीटर की ऊंचाई पर न्यूनतम 100 मिलीमीटर ऊर्ध्वाधर स्टैंडिंग सपोर्ट ग्रिप की ऊंचाई - तल की सतह से 870 मिलीमीटर से 950 मिलीमीटर की ऊंचाई पर 450 मिलीमीटर
5.	किसी इमेजिंग उपकरण में स्थानांतरण	स्थानांतरण समर्थन आवश्यकता - यदि स्थानांतरण सतह की गहराई 600 मिलीमीटर से कम है अवस्थिति समर्थन आवश्यकता - यदि स्थानांतरण सतह 600 मिलीमीटर से अधिक गहरी है।